MRA an USIUA The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—इण्ड 3—उप-इण्ड (li) PART II—Section 3—Sub-Section (li)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 68]

नई बिल्ली, शुअवार, फरवरी 3, 1995/माघ 14, 1916

No. 681

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 1995/MAGHA 14, 1916

राष्ट्रीय ग्रावास वैंक कर्मचारी (ग्राचरण)

विनियम, 1994

अधिसूचना

नई बिल्ली, 3 फरवरी, 1995

का.आ. 77(अ) .—राष्ट्रीय ग्रावास वैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त णिनतयों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमित से ग्रीर केन्द्रीय सरकार के परामर्ग से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, ग्रर्थात :—

श्रध्याय-I

प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ श्रीर लागू होना (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय श्रावास बैंक कर्मचारी (श्राचरण) यिनियम, 1994 कहा जाएगा।
- (2) ये मरकारी राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से लाग होंगे।
- (3) ये राष्ट्रीय श्रावास बैंक के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी पर लागृ होंगे जब तक कि संविदा करार या

नियुवित पत्र की **शतों में श्र**न्यथा न हो परन्तु निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :---

- (क) ग्रध्यक्ष श्रीर प्रबंध निदेशक, श्रीर
- (ख) ग्रस्थायी तौर पर नियुक्त कर्मचारी।
- परिभाषाएं :इन विनियमों में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो :
- (क) "श्रधिनियम" से मर्थ राष्ट्रीय मावास बैंक श्रधि-नियम, 1987 (1987 का 53) मिनियेत हैं;
- (ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' का ऋर्थ इन विनियमों के प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से हैं;
 - (ग) "परिवार" का अर्थ-
 - (1) पुरुष कर्मचारी के मामले में उसकी पत्नी, चाहे वह उसके साथ रह रही है या नहीं, परन्तु कान्नी तौर पर अलग हुई पत्नी शामिल नहीं है ग्रीर महिला कर्मचारी हैं के मामले में उसका पति, चाहे उसके साथ रह रहा है या नहीं, परन्तु कान्नी तौर पर अलग हुआ पति शामिल नहीं है;

- (2) कर्मचारी के बच्चे या सौतेले बच्चे, चाहे ये कर्म-चारी के साथ रह रहे हैं या नहीं ग्रीर वे कर्मचारी पर पूर्णतः श्राधित हैं परन्तु वे बच्चे या सौतेले बच्चे शामिल नहीं है जिनके संरक्षण के लिए कर्मचारी को किसी कानून के तहल या उसके द्वारा उसे वंचित किया हो, ग्रीर
- (३) कोई व्यक्ति जिसका कर्मचारी के साथ खून का रिस्ता है या वह विवाह से उससे या उसके पित/ पत्नी से संबंधित है और ऐसे कर्मचारी पर पूरी तरह ग्राश्रित हैं;
- (घ) "सरकार" का अर्थ केन्द्रीय सरकार है;
- (ङ) यहां प्रयुक्त शब्द भ्रौर भ्रभिव्यक्तियां जिनकी परिभाषा इन विनियमों में नहीं की गई है, परन्तु श्रधिनियम में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होंगे जो श्रधिनियम में उनके लिए निर्धारित किए गए हैं।
- 3. विनियमों की व्याख्या करने श्रौर कार्यान्वित करने की शिवत ग्रध्यक्ष शिवत: (1) इन थिनियमों की व्याख्या करने की शिवत ग्रध्यक्ष में निहित है, जिमे एतद्द्वारा यह शिवत भी प्राप्त हैं कि वह इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने या उनके प्रयोजनों पर श्रमल करने के लिए या श्रन्यथा राष्ट्रीय श्रावास बैंक के कर्मचारियों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने के लिए यथावश्यक प्रशासनिक श्रनुदेश जारी करें।
- (2) इन विनियमों के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोग करने योग्य शक्तियां किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी जो पहले बताए गए प्राधिकारी से प्रयर हो।

श्रध्याय-II

ग्राचरण

- 4. कर्मचारी की सेवा का कार्यक्षेत्र .-- अब तक कि किसी मामले में इसे अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न किया गया हो, किसी कर्मचारी का सम्पूर्ण समय राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकार में होगा और वह राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकार में होगा और वह राष्ट्रीय आवास बैंक के कारोबार से उस हैसियत से और उस स्थान पर सेवा प्रदान करेगा, जैसा कि उसे समय-समय पर निर्देण दिया जाएगा।
- 5. विनियमों और श्रादेशों के श्रनुपालन का दायित्व .—
 राष्ट्रीय श्रावास बैंक का प्रत्येक कर्मचारी हर समय
 धपनी डयूटी के प्रति पूर्ण सत्य-निष्ठा श्रीर समर्पण श्रीर
 श्रपनी डयूटियां ईमानदारी तथा परिश्रम के साथ बनाए
 रखेगा, इन विनियमों के श्रनुसार चलेगा श्रीर इनका
 श्रनुपालन करेगा और उन सभी श्रादेशों श्रीर निर्देशों का
 श्रमुपालन करेगा, उन्हें पूरा करेगा और उन्हें मानेगा जो उसे
 किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी सरकार डयूटी

- के दौरान समय-समय पर दिया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार या संजालन या नियंद्रण में एसे उस समय तैनात किया गया हो।
- 6. राष्ट्रीय श्रावास बैंः के हितों का कर्मनारियों द्वारा उभयन .— प्रत्येक कर्मचारी राष्ट्रीय श्रावास बैंक की सेवा ईमान-दारी और वफादारी से करेगा भौर वह राष्ट्रीय श्रावास बैंक के हितों के उन्नयन के लिए भरतक प्रयास करेगा तथा सभी लेन-देनों में शिष्टाधार श्रीर सावधानी दर्णाएगा।
- 7. गोपनीयता बनाए रखने की ध्रनिवार्यता प्रत्येक कर्मचारी, रोवा में रहते हुए या ध्रपनी सेवा तिवृत्ति, त्यागपत या बर्खास्तगी के बाद, राष्ट्रीय फ्रावास बैंक के कार्यकलापों ध्रीर उसके संगठनों के कार्यकलापों की संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा ध्रीर गोपनीय प्रकृति की जानकारी प्रत्यक्षतः या ध्रप्रत्यक्षतः जनता के किसी सदस्य को या किसी बाहरी प्रभिकरण को या राष्ट्रीय ध्रावास बैंक के किसी ऐसे कर्मचारी को, जो ऐसी जानकारी का हकदार नहीं है, तब के सिवाए नहीं होगा जध कि:—
 - (1) ऐसी जानकारी देना विधि के अनुसार या बैंकों के बीच रूढ़िगत श्राचरण श्रौर प्रथायों के श्रनुसार है;
 - (2) उसे न्यायिक या श्रन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसी जानकारी देने के लिए विवश किया जाता है;
 - (3) किसी वरिष्ट श्रधिकारी द्वारा श्रपने कर्तव्य के निर्वहन में ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।
- 8. साक्ष्य देना .--(1) उप विनियम (3) में यथा उपसंधित के सिवाए कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा की जा रही जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा।
- (2) जहां उप जिनियम (1) के श्रधीन मंजूरी दी गयी है, वहां ऐसा साक्ष्य देने वाला कर्मचारी राष्ट्रीय श्रावास बैंक, सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति या किसी कार्य की श्रालोचना नहीं करेगा।
- (3) इस विनियम की कोई भी बात निभ्यति দ্বির को दिए गए साध्य को लागू नहीं होगे :--
 - (1) सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधान भण्डल या राष्ट्रीय आवास वैक द्वारा नियुक्त किसी प्राधाकरी के समक्ष जांच में, सर
 - (2) किसी न्यायिक जांच में, या
 - (3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्रादेशित किनी विभागोय जांद में।

9. प्रदर्शन.—कोई कर्नचारी किसी ऐसे प्रदर्शन में सन्मिलित नहीं होगा जो भारत की प्रभुता और ग्रश्चंडता, राज्य की पुरका, विदेशी राज्यों के साथ मैंबीपूर्ण संबंधों, लाक व्यवस्था, णिष्टता या नैंतिकता के हित पर प्रतिकूल है या जिससे प्रभाव डालने वाला, न्यायालय श्रयसान/मानहानि या अन्याध उद्यापन होता है।

10. देश के हितों पर प्रतिकूल प्रमाव डाजने वाले संगर्भों में प्रवेश .---कोई भी कर्ने जारी किसी ऐसे संगम में प्रवेश नहीं लेगा, या उसका स्थस्य नहीं बना रहेगा जिसके उद्देश्य और क्रिया-कलाप भारत की प्रभुता और प्रखंडता या लीक व्यवस्था में तियान के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाजते हैं।

11. किन्हीं संघों और हड़जालों भादि में गामिल होते के विरुद्ध निर्पेध .---(1) कोई भी कर्मचारी, जो औद्योगिक विवाद प्रतिनियम, 1947 के अर्थों के अन्तर्गत "कर्मकार" नहीं है,

- (1) राष्ट्रीय स्राप्तास बैंक के कर्मचारियों की किसी भी ट्रेड यूनियन या ऐसो ट्रेड यूनियन की किसी फेडरेशन का न तो सदस्य और न ही पवाधिकारी बन सकता है क ही बना रह सकता है या उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष कृप से अपने को जोड़ सकता है, जो श्रक्षि-नियम के अयीं के सन्तर्गत "कर्मकार" हैं।
- (2) कोई भी कर्मचारी श्रपनी सेवा शतों या राष्ट्रीय श्रावास बैंक के किसी श्रन्य कर्मचारी की सेवा शतों से संबंधित किसी मामने के साथ जुड़ी किसी भी प्रकार की हड़ताल या श्राहिसक या श्रनुचित या श्रणिष्ट प्रदर्शन में समागम, या किसी भी तरह का दुष्प्रेरण नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा।
- (2) किसी ऐसे कर्नचारी के संबंध में, जो ऐसे उक्ततर ग्रेड या पद पर स्थानापन्न के रूप में है जो उपर्युक्त के श्रनुसार "कर्मकार" का ग्रेड या उसका पद नहीं है, यह विनियम उस समय तक लागू होगा जब तक वह ऐसे उच्चतर ग्रेड या पद पर स्थानापन्न के रूप में कार्य करत। है।

12. राजनीति में भागोजारी करने और चुनाय में खड़े होने पर प्रतिबंध.--कोई भी कर्मनारी राजनीति में या किसी राजनीतिक प्रदर्णन में न तो भाग लेगा और न ही म्युनिसिपल काउंसिल, जिला बोर्ड या किसी श्रान्य स्थानीय निकाय या किसी विधायी निकाय के सदस्य के लिए चुनाव में खड़ा होगा:

परन्यु किसी कर्मभारी द्वारा इस जिनियम के प्रावद्यानों का उल्लंबन केवल उसी सूरत में नहीं माना जाएगा जब, उत समय जारी जिसी कातून के द्वारा या उसके तहत, ंग उन्नकी ड्वूटी अदा करने के लिए किसी चुनाव प्रक्रिया में सहायता करने के लिए कहा गया हो;

स्रप्टीकरण: किसी कर्नथारी द्वारा अपने व्यक्तिगत बाहन या श्राजास पर किती चुनाव चिन्ह का प्रवर्शन करना, इस उप विनियम के श्रयों के अंतर्गत चुनाव में उसके प्रधाव का उपयोग करना माना जाएगा।

13. समाचार पत्नों, रेडियो म्रादि का योगदान .—(1) कोई भी कर्नचारी, सक्षप प्राधिकारी की पूर्व गंजूरी के दिना किसी समाचार पत्न या किसी शन्य नियतकालिक प्रकाधन का पूर्णतया या भागतः स्वामी नहीं होगा या उसके सम्भादन या प्रबंध का संचालन नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा।

- (2) कोई भी कर्नवारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना या ध्रमने कर्जंट्यों के सद्भावपूर्ण निवंहन के सिवाए, रेडियो प्रसारण या टेलीबिजन प्रसारणों में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार पत्र या विधाकालिक पितका में ध्रमने नाम से या बिना नाम के या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई लेख नहीं देणा या कोई पत्र नहीं जिखेगा या कोई ऐसा दस्तावेज, कागजात या जानकारी, जो उसकी शासकीय हैसियत में उसके कब्जे में आई हो उसे विदित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करेगा या दूसरों को नहीं देगा।
- (3) कोई भी कर्नवारी, सजन प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई पुत्तक या इती प्रकार की कोई मुद्धित सामग्री जिसका वह लेखक हो, प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करवाएगा, या सार्वजनिक सभाओं में या भन्यथा कोई वार्ता या भाषण नहीं करेगा:

परन्तु ऐसी कोई मंजूरी उस दशा में ग्रपेक्षित नहीं होगी यदि ऐसा प्रसारण या योगदान या प्रकाशन पूर्णतया साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक स्वरूप का है।

परन्तु पुनः यह कि यह विनियम कर्मचारी के पंजीकृत ट्रेड यूनियन के कायकर्ताओं द्वारा प्रेस को ऐसे किसी विषय पर दिए गए वक्नव्य पर लागू नहीं होगा जो व्यायसायिक विवाद की किस्म का है और विनियम 6 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

14 राष्ट्रीय प्रावास बैंक कर्नचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन — (1) कोई कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई अभिनन्दन पत्र या प्रस्थान अभिनन्दन प्राप्त नहीं करेगा या कोई प्रशंसा पत्र स्वीकार नहीं गरेगा या ग्रपने सम्मान में श्रायोजित या राष्ट्रीय श्रावास वैंक के किसी कर्मचारी के सम्मान में श्रायोजित किसी सभा या सत्कार में उपस्थित नहीं होगा:

परन्त इस विनियम की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी:---

- (1) राष्ट्रीय ग्रावास बैंक के कर्नचारी के सम्मान में या किसी ग्रन्य कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या उसके स्थानांतरण के ग्रन्थसर पर या ऐसे व्यक्ति के सम्मान में जिसने राष्ट्रीय ग्रावास बैंक की रोबा हाल ही में छोड़ी है, ग्रायोजित सारतः प्राइवेट और श्रनीपचारिक स्वरूप का विदाई स्टकार: और
- (2) राष्ट्रीय प्रावास बैंक कर्मे वारी संगम द्वारा ग्रायो-जित सादे और सस्ते सत्कार को स्वीकार करना।
- (2) कोई भी कर्मचारी प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः राष्ट्रीय धावास बैंक के किसी कर्मचारी को विदाई सत्कार मद्दे धन्दा देने के लिए उत्प्रेरित या विद्या करने के लिए उस पर दबाब या प्रभाव नहीं डालेगा।

15. सेवानिवृत्ति के बाद नियोजन .--(1) राष्ट्रीय भावास बैंक का कोई कर्मचारी, जो सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है, उस तारीख से दो वर्ष की ग्रवधि के भीतर जब वह अंततः राष्ट्रीय भावास बैंक की सेवा में नहीं रहता है, सक्षम प्राधिकारी की लिखित रूप से पूर्व मंजूरी के बगैर कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार नहीं कर सकेगा या ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकेगा:

परन्तु यह कि किसी कर्मचारी को, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा उसकी सेवानिवृत्ति की तैयारी की छुट्टी के दौरान या अस्वीकृत छुट्टी के दौरान उसे कोई विशेष प्रकार का वाणिज्यक नियोजन शुरू करने की अनुमति दी गई यी तो उसे सेवानिवृत्ति के पश्चात ऐसे नियोजन को जारी रखने के लिए पश्चातवर्ती अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकना नहीं होगी।

- (2) इस विनियम के प्रयोजनार्थ "वाणिज्यिक नियोजन" का यह अर्थ होगा :--
 - (1) किसी कंपनी, सहकारी सामिति, फर्म के प्रधीन एजेंट सहित किसी भी क्षमता का नियोजन या व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, विसीय या व्यायसायिक कारोबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति और इसमें ऐसी कंपनी में निदेशक का पद और ऐसी फर्म में भागीदारी भी शामिल हैं लेकिन सरकार द्वारा पूर्णतः या सारतः धारित या नियंत्रित किसी निगमित निकाय में नियोजन शामिल नहीं है;

- (2) सलाहकार या परामर्गदाता के रूप में या हो स्वतंत्र रूप से या किसी फर्म के साझीदगर के रूप में ऐसे मामलों के संबंध में ध्यवसाय स्थापित करना जिनमें सेवानिवृत्त अधिकारी की--
- (क) कोई व्यावसायिक श्रार्हता नहीं है और उन मामलों के संबंध में जिनमें व्यवसाय स्थापित करना या किया जाना है, वे उसके प्रशासनिक भान या स्रमुभव से संबंधित हैं; या
- (ख) व्यावसायिक प्रहेता है लेकिन जिन मामलों के संबंध में व्यवसाय स्थापित किया जाना है वे ऐसे हैं जिनमें उसके ग्राहकों को उसकी पूर्व शामकीय हैसियत के कारण ग्रन्चित लाभ दिए जाने की संभावना है; या
- (3) राष्ट्रीय श्रावास दैंक और/या सरकार के कार्यालयों या श्रधिकारियों के साथ सम्पर्क या संबंध वाले कार्य करना।

स्पष्टीकरण: "सरकारी समिति के प्रधीन नियोजन"
के इस खण्ड के प्रयोजनार्थ किसी भी
प्रकार का पर धारण किया जाना शामिल
है चाहे वह सभापति, ग्रध्यक्ष, प्रयंधक,
सचिव, कोषाध्यक्ष ग्रादि जैसे निकल्पी
ग्रयवा श्रन्यथा किसी भी तरह का पर
हो चाहे उसे ऐसी समिति में किसी भी
नाम से पुकारा जाता हो।

16. कर्मचारियों को बाहर से नियोजन न मांगना .— कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना बाहरी नियोजन या पद स्वीकार नहीं करेगा, याचना नहीं करेगा या उसे नहीं मांगेजा चाहे वह बेतिनक हो या अबेतिनक।

17. बाहरी निकायों के लिए अंशकालिक कार्य .—कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना जो केवल उन्हीं आपवादिक मामलों में मंजूरी प्रदान करता है जब यह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि इस कार्य को उसके शासकीय कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को अपाय किए बिना किया जा सकता है, किसी गैर-सरकारी या सार्व-जिनक निकाय या गैर-सरकारी व्यक्ति के लिए कोई कार्य नहीं करेगा या इसके बाबत कोई फीस स्वीकार नहीं करेगा। सक्षम प्राधिकारी, उन मामलों के संबंध में, जिनमें वह यह रामजता है कि ऐसी मंजूरी देना ठीक है, यह अनुबंध कर सकेगा कि कार्य करने के लिए कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की फोस का संदाय, पूर्णतः या आंशिक रूप में, राष्ट्रीय धावास सैक को किया जाएगा।

18. निजी व्यापार ---(1) कोई भी कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग, राष्ट्रीय ग्रावास बैंक की अनुमति के

बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी प्रकार के व्यवसाय या कारबार में नहीं लगेगा।

(2) कोई भी कर्मचारी, राष्ट्रीय श्रावास बैंक की पूर्व श्रानुमति के विना, कंपनी श्रिधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी श्रान्य विधि के श्रधीन पंजीकृत किसी बैंक या किसी श्रान्य कंपनी के पंजीकरण, संबर्धन या प्रवंधन में भाग नहीं लेगा।

परंतु कोई भी कर्मचारी, सहकारी समिति अश्विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी प्रत्य विधि के अति सहकारी समितियों के पंजीकरण, संवर्धन या प्रयद्धन, में भाग ले सकेगा, जिन्हें मुख्यतः राष्ट्रीय श्रायास बैक के कर्मचारियों द्वारा और उनके लाभ के थिए गठित किया गया है।

19. दान-प्रादि का प्रतिग्रहण: (1) इन विनियमों में जैशा कि श्रन्यथा उपश्रंधित है उसके सिवाए, कोई भी कर्म- चारो दान प्रतिगृहित नहीं करेगा था अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या श्रपनी और से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को प्रतिगृहित करने की श्राजा नहीं देगा।

स्पष्टीकरण: वानपद के अंतर्गत निःशुल्क परिवहन, भोजन, निवास या श्रन्य सेवा या कोई श्रन्य धन संबंधी फायदा जोकि किसी निकट के नातेदार या वैक्तिक मिल्ल से भिन्न व्यक्ति हारा जिसका कर्मचारी के साथ कोई णासकीय व्यवहार नहीं है, प्रदान किया जाता है, श्राएगा। परन्तु इसमें किसी नैतिमिक भोजन, यान मे ले जाने या श्रन्य सामाजिक श्रातिथ्य को शामिल नहीं किया जाएगा।

- (2) विवाह, वर्षगांठ, अन्तेष्टि या धार्मिक कुन्यों जैसे अवसरों पर, जब दान देना प्रचलित धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुरूप है, कोई कर्मचारी अपने निकट के नातेदारों से दान प्रतिगृहोत कर सकेगा किन्तु यदि दानों का मूच्य 500/- ६२ए सें अधिक है तो सक्षम प्राधिकारी को मुचित करेगा।
- (3) उप विनियम (2) में विनिर्दिष्ट अवसरों पर कोई कर्मचारी श्रपने ऐसे वैयक्तिक मित्र से भी, जिसका उसके साथ कोई शासकीय अयवहार नहीं है, दान प्रतिगृहित कर सकेगा, किन्तु यदि ऐसे दानों का मूख्य 200/- स्पए से अधिक है तो सक्षम प्राधिकारी की सूचित करेगा।
- (4) किसी अन्य दशा में, कर्मचारी कोई दान, यदि दान का मृत्य 75/- रुपए से अधिक हो तो सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना प्रतिगृहीत नहीं करेगा:—

परंतु यदि एक ही व्यक्ति या समृत्यान में 12 मास की भवधि के भीतर एक से श्रधिक दान प्राप्त हुए हों आर उनका संकलित मूल्य 500/- स्पए से अधिक है, तो उसकी सुचना सक्षम श्राधिकारी को दी आएगी।

- (5) कोई भी कर्मचारी, किसी ऐसे व्यक्ति या संस्थान सं, जिसके साथ कर्मचारी का शासकीय व्यवहार है, न तो कोई दान मांगेगा या अधिगृहीत करेगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को या अपनी ओर ते कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को दान मांगेने या अधिगृहीत करने को अनुमति देगा।
 - (७) अंहिंभी कर्मचारी:--
 - (1) बहेज नहीं देगा या लेगा या बहेज हेना या लेना दुष्प्रेरित नहीं करेगा, या
 - (2) यथास्थिति, किसी वध् या वर के माता पिता या संरक्षक से दहेज की प्रत्यक्षतः या श्रप्रत्यक्षतः मांग नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण: इन विनियम के प्रयोजनी के लिए "दहेज" का श्रर्थ है जो उसका दहेज प्रतिपेध श्रधिनियम, 1961 (1961 का 28) में हैं।

20. स्टाकों और शेयरीं तथा विनिधानों में सट्टाः कोई भी कर्मचारी, किसी स्टाक, शेयर या प्रतिभृतियों प्रथवा किसी भी प्रकार की वस्तुओं या मूल्यांकन चीजों का सट्टा नहीं करेगा या ऐसे विनिधान नहीं करेगा या प्रभने परिवार के किसी सबस्य को ऐसे विनिधान की अनुमति नहीं देगा जिससे उसके कर्नव्यों के निर्वहन में उसके उलझन में पड़ने या प्रभावित होने की संभावना हो।

कोई भी कर्मचारी, कम्पनी के निवेशकों के मिस्नों और साझेदारों के लिये श्रारक्षित कोटा से भेयरों/डिबेंचरों ब्रादि को अपने नाम से या श्रपने परिवार/बच्चों/भाइयों/पिता/ माता/सौतेली मां/सौतेले बच्चों बादि, जो कर्मचारी पर पूर्णतः श्राश्रित हैं, के नामों से प्राप्त करने के लिये विनिधान नहीं करेगा । यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में (उदाहरण के लिये, जब श्रावेदक का कोई निकट संबंधी निर्गम करने वाली कम्पनी का मुख्य प्रवर्तक/निदेशक है) कर्मचारी भेयर/डिबेंचर अधिग्रहण करना चाहता है तो उसे ऐसे मधिग्रहण के लिये राष्ट्रीय भ्रावास बैंक से पूर्व मंजूरी लेनी होगी। कोई कर्मचारी, किसी भी कंपनी के कर्मचारी के कोटे से शेयर/डिबेंचर के लिये न तो क्रावेदन करेगा और न ही श्रात्रंटन स्वीकार करेगा। परन्त् इस विनिभय की किसी वात से यह नहीं समझा जाग्रेगा कि वह किसी कर्मचारी के प्रपने स्वयं की निधियों के जैसा वह उचित समझे सद्भावपूर्वक विनिधान करने का प्रतिवेद करती है।

स्पष्टीकरण-1: शेयरों या प्रतिभूतियों के बारंबार क्रय या विक्रय या धोनों या ग्रन्य यिनिधानों को इस विनियम के प्रयोजन के लिये सट्टा समझा जायेगा। स्पष्टीकरण-2: किसी कर्मचारी द्वारा या उसने परिजाल के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसी कंपनी या संगठन के प्रवर्तक कोटा से, घेयर या कोई अन्य प्रतिभूति अधिगृहीत करण या स्वीकार करना, जिलके साथ राष्ट्रीय आवास बैंक का शासकीय व्यवहार है, यह समझा जायेगा कि यह विनिधान कर्मचारी को उसके सरकारी इयुटों को अदा करने में उसके जिये उन्मयन उत्पन्न करेगा या उसे प्रभावित करेगा।

21. उधार लेने या उधार देने पर प्रतिबंध कोई भी कर्मचारी श्रपने वैयन्तिक हैसियत में,—

- (1) किसी दलाल या साहकार या बैंक के किसी यशीनस्थ कर्मचारी या ऐसे ध्यक्ति या व्यक्तियों के संघ, फर्म, कंपनी या संस्था से, चाहे वह निगमित हो या न हो, जिसका राष्ट्रीय शाजास बैंक के साथ व्यवहार है, उधार नहीं लेगा या अपने कुंदुम्ब के किसी सदस्य को उधार ने की अनुज्ञा नहीं देगा या स्वयं को या अपने कुंदुम्ब के किसी सदस्य को अन्यथा किसी धन संबंधी बाध्यता के अधीन नहों करेगा;
- (2) किसी भी प्रकार के स्टाक, ष्रोयर या प्रतिभृतियों के स्क्रिस के क्रय की दशा में पूरी की नत के लिये या विक्रय की दशा में परिदान के लिये विधियों के बिना क्रय या विक्रय नहीं करेगा;
- (3) धुड़दौड़ में ऋण उपगत नहीं करेगा;
- (4) निजी क्षमता में राष्ट्रीय ब्रावास बैंक के जिसी प्राहक को ऋण नहीं देगा या ऐसे ग्राहक के साथ बिल विनियम, सरकारी कागज या किसी भी प्रकार की दूसरी प्रतिभृतियों की खरीद या बिकी का कोई लेन-देन नहीं करेगा; और
- (5) अपनी निजी क्षमता में दूतरे व्यक्ति की धन संबंधी बाध्यता की गारंटी नहीं देगा यासदान प्राधिकारी की पूर्व अनुसति के बिना ऐसी क्षमता में दूसरे व्यक्ति को हुई हानि की अतिपूर्ति करने के लिये सहमत नहीं होगा।

परन्तु कोई कर्मचारी किसी संबंधी या वैविकार मित्र को बहुत कम राशि का ब्याज मुगत विशुद्ध रूप से अस्थाई ऋण दे सकेगा या उससे स्वीकार कर सकेगा या वास्तविक व्यापारी के ऋण खाते का परिचालन कर सकेगा या उसके निजी कर्मचारी को वेतन का अग्रिम संदाय कर सकेगा;

परन्तु यह भी भि विनियम ऐसे ऋण जी कि कमेंचारी द्वारा ऐसी सहकारो ऋण सनिति से नियं या जासके जिसक कि वह सदस्य है या वह किसी दूसरे सदस्य द्वारा ऐसी सहकारी ऋण सिशित से लिये गये ऋण के सबंध में जमानती हो, लाभू नहीं हाला।

22. कर्भनारियों की श्रष्टाग्रस्तला

गोई भर्मचारी अपने निजी कार्यों काष्ठ्रंब इत्तप्रकार ने नारेगा कि वह अपनी शास्त्रासिक अज्ञावरता या दिवाणियेगा से बच सके जो कर्मचारी पर्ज में हो वह 30 जून और 31 दिसम्बर की अर्ज-वाणिक आधार पर अपनी स्थित का हम्ताक्षर जिया हुआ निवरण सक्षम प्राधिकारों के पान मंजेगा और अपने विवरण में उन जमाने को इंगत वारेगा जिल्हें वह अपनी नियमि मुधारने के निये कर रहा है। जो अमंबारी इस जिल्लाम के अन्तर्गत अहा विवरण देता है या जो निर्धारित विवरण प्रस्तुत नहीं करता है या जिल्ला बारे में यह प्रतीत होता है कि उचित समय के भीतर यह अपने अहम को समाप्त नहीं कर सकेगा या जो न्यायालय से दिवालियायन के संरक्षण के लिये आयेबन करता है तो उस पर अन्वासिक कार्रगर्ध की जायेगो।

ल्पण्टीकरण-1: इन विनियम के प्रयोजनार्थ कोई कर्मचारी तब कर्ज में माना जायेगा जब उनकी उन देनदारियों को छोड़कर जो पूरी तरह प्रतिभूति हां या जो कर्मचारियों की सहकारी ऋण समिति से ली गई हैं, कुल देनदारियां उसके 12 मास के मारभूत वेतन से प्रधिक है।

स्पष्टीकरण-2: किसी कर्मचारी को अपने ऋणों को उचित रामय के भीतर समाप्त करने में तब अक्षम मान! जायेगा यदि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके निजी संसाधनों और अपरिहार्य चालू खर्चों को ध्यान में रखते हुए वह तिन बर्ष को अविधि के भीतर ऋण से मुगत नहीं होगा।

23. वेशन का श्रिशम रूप से लिया जाना

कोई भी कर्मचारी, सक्षय प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के जिता, अपना बेतन अधिम रूप से उहीं लेगा।

24. शभिदाय

कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के जिला, किसी भी उद्देश्य के अनुत्तरण में, नक्षद या वस्तु के रूप में, किस्ता निद्धियों या अस्य संग्रहणों के समुत्यान के जिसे अभिवाय नहीं भागेगा या प्रिकृहीत नहीं करेगा या अपने को उससे सतुवीजित नहीं करेगा।

- 35. जंगम, स्थायर और मूल्यवान सम्पत्ति
- (1) प्रत्मेक नगंदारी अपनी जन्म नियुन्ति पर प्रानी श्रास्तियों और वायिरवों की विश्वरणी

प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्निलिखित के संबंध में पूर्ण विशिष्टियां दी जायेंगी:—

- (क) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त, या उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा श्रिजत या उसके द्वारा पट्टे या बंधक पर या तो अपने नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में हो या किसी व्यक्ति के नाम में धारित स्थावर संपत्ति;
- (ख) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या इसी प्रकार उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा प्रजित या धारित शेयर डिबेंचर और नकदी, जिसके अन्तर्गत बैंक निक्षेप भी है;
- (ग) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या इसी प्रकार उसके स्वामित्वधीन, या उसके द्वारा धर्णित या धारित अन्य जंगम संपत्ति; और
- (घ) उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपगत ऋण और अन्य दायित्व ;

परन्तु ऐसे कर्मचारी की दशा में जो पहले ही उस तारीख को राष्ट्रीय ग्रावास बैंक की सेवा में है जिसको ये विनियम प्रवृत्त होते हैं, इन विनियमों के प्रन्वृत्त होने के तीन यास के भीतर इस विनियम के निवंधनों के प्रनुसार विवरण प्रस्तुत करेगा, यह विवरणी इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को कर्मचारी के ऊपर परिगणित ग्रास्तियों और दायित्वों के प्रति निर्देश से होगी।

- (2) प्रत्येक कर्मचारी प्रति वर्ष राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को अपनी स्थावर संपत्ति की विवरणी राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत करेगा।
- (3) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना, अपने स्वयं के नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में कोई स्थावर संपत्ति पट्टे, बंधक क्रय, विक्रय, दान द्वारा या अन्यथा अजित या व्ययनित नहीं करेगा।

परंतु यदि ऐसा संव्यवहार :-

- (क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसका कर्मचारी के साथ शासकीय व्यवहार है; या
- (ख) किसी ध्रनुमोदित या ख्यापित प्राप्त व्यवहारी के माध्यम से न होकर ग्रन्यथा हुग्रा है। तो कर्मचारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी।
- (4) प्रत्येक कर्मचारी, उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा धारित ऐसी जंगम परिसंपत्ति के बारे में, जो या तो उसके नाम पर हो या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हो, प्रत्येक संव्यवहार की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा यदि ऐसी परिसंपत्ति की कीमत 10,000/- रूपए से प्रधिक हो।

परंतु यह कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी यदि ऐसा संव्यवहार निम्नलिखित के साथ हो:—

- (क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसका कर्मचारी के साथ शासकीय व्यवहार है; या
- (ख) किसी अनुमोदित या ख्याति प्राप्त व्यवहारी के माध्यम सेन होकर अन्यथा हुआ।
- (5) राष्ट्रीय यावास बैंक किसी भी समय, साधारण या विशेष यादेश द्वारा किसी कर्मचारी सेयह अपेक्षा कर सकेगा, कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट की गई अवधि के भीतर उसके द्वारा या उसकी ओर से या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा धारित या अर्जित ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति का जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, सम्पूर्ण और पूरा विवरण दें। यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपेक्षा करे तो ऐसे विवरण में उन साधनों का ब्यौरा सम्मिलित होगा जिसके द्वारा उन स्त्रोतों का ब्यौरा होगा, जिनसे ऐसी संपत्ति अजित की गई थी।

26. ग्रसर डालने का प्रयास

कोई भी कर्मचारी राष्ट्रीय आवास बैंक के अधीन अपनी सेवा से संबंधित विषय के बाबत अपने हितों को अग्रसर करने के लिए किसी बरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनै-तिक या अन्य बाहरी असर नहीं डलवाएगा या डलवाने का प्रयास नहीं करेगा।

28. कर्मचारी न तो इयूटी से अनुपस्थित रहेगा या उप-स्थिति में विलम्ब करेगा।

(1) कोई कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा लिए बिना न तो अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित होगा, न ही वह बीमारी या दुर्घटना के मामले में सक्षम प्राधिकारी को उसकी संतुष्टि के अनुसार चिकित्सा प्रमाणपत्न प्रस्तुत किए बिना ड्यूटी से अनुपस्थित होगा।

परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में, जब पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करना सम्भव नहीं है या कठिन है तो ऐसी अनुज्ञा, सक्षम प्राधिकारी इसके बाबत समाधान के अधीन रखते हुए कि ऐसी अनुज्ञा प्राप्त नहीं की जा सकती थी, ऐसी अनुज्ञा बाद में प्राप्त की ज सकेगी।

परंतु पुनः यह कि अस्थायी अस्वस्थता के मामले में चिकित्सा प्रमाणपत देने की छूट सक्षम प्राधिकारी के पूर्ण विवेक पर होगा।

(2) कोई कर्म चारी उन परिस्थितियों को छोड़कर जो उसके नियंत्रण से परे हैं, स्वयं को ड्यूटी से अनुपस्थित रखता है या अपनी छुट्टी के समय से अधिक ठहरता है, उसके लिए उसे संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा, वह ऐसी अनुपस्थिति या छुट्टी से अधिक ठहरने की अवधि के दौरान का बेतन और भत्ते आहरित करने का हकदार नहीं होगा और ऐसे अनुशासनिक उपाय के लिए भी दायी होगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आरोपित करेगा।

परंतु, तथापि, सक्षम प्राधिकारी श्रपंत पूर्व विवेकानुसार, प्रमुपस्थिति या छुट्टी के उपरांत अनुपस्थिति की ऐसी श्रविध को, यदि कर्मचारी को सेवा से सेवा मुक्त, पदन्यत या सेवा का समापन न किया गया हो, विशेषाधिकार, बीमारी, विशेष या श्रसाधारण छुट्टी के रूप में बिताई गई सबिध के रूप में मान सकता है लेकिन ऐसी श्रविध को ऐसा मानने जाने के लिए अधिकार के रूप में कर्मचारी का कोई हुक नहीं होगा।

(3) जो कर्मचारो भ्राभ्यासिक रूप से विलम्ब से उपस्थित रहता है, उस पर ऐसी भ्रन्य शास्ति अधिरोपित करने के श्रतिरिक्त, जिसे सक्षम प्राधिकारी भ्रावण्यक समझता है, किसी महीने में प्रत्येक तीन विन विलम्ब में उपस्थित रहने के लिए एक दिन की श्राकस्मिक छुट्टी समपहत की जाएगी। यदि किसी कमचारी को देथ कोई श्राकस्मिक छुट्टी न होतों हो समपहत की जाने वाली छुट्टी की ऐसी श्रवधि को विशेषाधिकार या श्रसाधारण छुट्टी के रूप में, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी श्रवधारित करे, मानो जा मकेगी।

स्पर्टीकरण : सक्षम प्राधिकारी, श्रपने पूर्ण विवेकानुसार, किसी कर्मचारी को महीने में दो दिन विलम्ब से उपस्थित रहने के लिए माफ कर सकता है, बक्षतें कि, वे परिस्थितियों, जिनके प्रधीन कर्मचारी को विलम्ब से उपस्थित होना पड़ा उसके नियंत्रण के वाहर थी ग्रौर उस सूरत में उप-विनियम (3) के श्रनुसार विलम्बित उपस्थिति को श्राकस्मिक खुटी के खाते में नामे डाले जाने पर विकार नहीं अया जाएगा

28. स्टेशन से अनुपस्थिति

कोई भी कर्म चारी, सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा पहले ही प्राप्त किए विना, इयूटी को छोड़ कर, अपनी इयूटी से अनुपस्थित नहीं होगा या स्टेशन नहीं छोड़ेगा। 29. विवाह के संबंध में निर्वाधन

- (1) (i) कोई भी कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से विवाह या उसके लिए संविधा नहीं करेगा जिसका/जिसकी कोई पति या पत्नी जीवित है; श्रौर
- (ii) कोई भीकर्मचारी जिसका/जिसकी पति या पत्नी जीवित है, किसी व्यक्ति के साथ, विवाह या उसके लिए संविदा नहीं करेगा:

परंतु यह कि राष्ट्रीय प्रावास बैंक किसी कर्म-धारी को खण्ड (i) या खड (ii) में, जैसा कि निदिष्ट हैं, ऐसा विवाह करने या उसके लिए संविदा करने की भ्रनुमति वे सकेगा, जब उसका यह समाधान हो जाता है कि :

- (क) ऐसा विवाह ऐसे कर्मचारी भौर विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्कीय विधि के अधीन अनुक्रेय है; भौर
- (ख) ऐसा करने के अन्य श्राद्यार हैं;

- (2) यदि किसी कर्मचारी ने भारतीय राष्ट्रीयता से भिन्न राष्ट्रीयता वाले किसी व्यक्ति से विवाह किया है या ऐसा विवाह करता है तो वह इस तथ्य की भूचना तत्काल राष्ट्रीय श्रावास बैंक को देगा।
- 30. मादक पेय श्रांर द्रव्य का उपभोग कोई कर्मचारी :---
 - (क) उस क्षेत्र में, जहां वह तत्समय रह रहा है, प्रवृत्त मादक पेयों या गादक द्रव्यों से संबंधित किसी विधि का कड़ाई से पालन करेगा।
 - (ख) अपनी ड्यूटी के दौरान किसी मादक पेय या मादक द्रव्य के प्रभाव में नहीं रहेगा श्रौर इस बात की सम्यक सावधानी भी बरतेगा कि ऐसे पेय या द्रव्य के प्रभाव से उसके कर्तव्यों के पालन पर किसी भी समय किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े;
 - (ग) किसी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय या मादक द्रव्य का उपभोग करने से विरत रहेगा;
 - (घ) किसी सार्वजनिक स्थान पर मत्त ग्रवस्था में उपस्थित नहीं होगा;
 - (ङ) मादक पेय या मादक द्रव्य का ग्रधिक मात्रा में उपयोग नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजनार्थ "सार्वजनिक स्थान"
में कल्ब (जो अनन्य रूप से सदस्यों के लिए
हों और जहां सदस्यों के लिए गैर-सदस्यों को
प्रतिथियों के रूप में आमंत्रित करना अनुज्ञेय
हो), मधुशालाएं और रेस्तरां, सार्वजनिक
प्रवहण और सभी धन्य स्थान ध्रथवा परिसर
शामिल हैं, जहां संदाय पर या अन्यथा जनता
की पहुंच है या उसकी पहुंच की अनुज्ञा है।

31. कर्मधारी के कार्यों और चरित्र का प्रतिसमर्थन

कोई भी कर्मचारी राष्ट्रीय स्रावास बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी पतीय कार्य के, जो प्रतिकृत श्रालोचना या मानहानि कारक स्राक्षेप की विषय वस्तु रहा है प्रति-ममर्ण के लिए किसी न्यायालय या प्रेस का श्राश्रय नहीं लेगा:

परंतु इस विनियम की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी कर्मधारी के अपने प्राइवेट चरित्र या उसके द्वारा अपनी प्राइवेट हैसियत में किए गए किसी कार्य के प्रति समर्थन का प्रतियेध करती है और जहां इसके प्राइवेट चरित्र या उसके द्वारा अपनी प्राइवेट हैसियत में लिए गए किसी कार्य के प्रतिसमर्थन के लिए कोई कार्रवाई की जाती है तो कर्मचारी ऐसी कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट अपने अव्यवहित वरिष्ठ को प्रस्तुत करेगा।

32. ग्रवधार के कार्य

६स अध्याय में निहित इन विनियमों के उपवंधों में ने किसी उपबंध का उल्लंधन राष्ट्रीय आवाम बैंक (अनुशासन और अपीन) विनियम, 1994 के अधीन दंडनीय अनवार समक्षा पाएगा।

33. दिरसन और व्यावृत्ति

- (1) ऐसे प्रत्येक नियम, विनियम, उपविधि या किसी करार या संकल्प में ऐसे प्रत्येक उपबंध की, जो इसमें अन्त-चिट विनियमों के से किसी विनियम का तत्स्थानी है और इन विनियमों के प्रारम्भ से ठोक पूर्व प्रयुत्त है और उन कर्मचारियों को लागू होता है, जिन्हें ये विनियम लागू होते हैं, इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इन प्रकार निरिस्त उपबंधों के प्रवीन दिया गया कोई ग्रादेश या की नई काई कार्यवाही इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के श्रवीन दिया गया या की गई समझी जाएगी।

[फाइल नं. एन.एच.नी. (एन.डी.) स्टाफ/पीओएल/ 26—कंडक्ट/ 95] बोर्ड के प्रादेशानुसार पी. के. हांडा महाप्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रावास बैंक

NATIONAL HOUSING BANK EMPLOYEES' (CONDUCT) REGULATIONS, 1994 NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 1995

S.O. 77(E).—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Board, with the previous approval of the Reserve Bank of India and in consultation with the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

- 1. Shrot title, commencement and application.—
 (1) These regulations may be called the National Housing Bank Employees' (Conduct) Regulations. 1994.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) They shall apply to every whole-time employee of the National Housing Bank unless otherwise provided by the terms of any contract, agreement or letter of appointment but shall not apply to;
 - (a) the Chairman and the Managing Director.

- (b) staff employed †emporarily.
- 2. Definitions.—In these regulations, unless there is anything repuguant in the subject or contex:
 - (a) "Act" means the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987);
 - (b) "Competent Authority" means the Authority appointed by the Board for the purpose of these regulations.
 - (c) "family" means-
 - (i) in the case of male employee his wife, whether residing with him or not, but does not include a legally separated wife and in the case of a woman employee her husband, whether residing with her or not, but does not include a legally separated husband.
 - (ii) children or step children of the employee, whether residing with the employee or not, and wholly dependent on such employee but does not include children or step-children of whose custody the employee has been deprived of by or under any law; and
 - (iii) any other person related to, by blood or marriage, to the employee or to his spouse and wholly dependent upon such employee;
 - (d) "Government" means the Central Government;
 - (e) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.
- 3. Power to interpret and implement Regulations.—(1) The power to interpret these regulations vests in the Chairman who is also hereby empowered to issue such administrative instructions as may be necessary to give effect to, and carry out the purposes of, the provisions of these Regulations or otherwise to secure effective control of the staff employed in the National Housing Bank.
- (2) The powers exercisable by an authority under these regulations shall be exercisable by any authority superior to the authority first mentioned.

CHAPTER II CONDUCT

- 4. Scope of an employee's service.—Unless in any case it be otherwise distinctly provided, the whole time of an employee shall be at the disposal of the National Housing Bank and he shall serve the National Housing Bank in its business in such capacity and at such place as he may, from time to time, be directed.
- 5. Liability to abide by the Regulations and orders—Every employee of the National Housing Pank shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty and discharge his duties

honestly and with diligenece, shall conform to and abide by these regulations and shall observe, comply with and obey all orders and directions which may, from time to time, be given to him in the course of his official duties by any person or persons under whose jurisdiction, superintendence or control he may, for the time being, be placed.

- 6. Employees to promote National Housing Bank's interest.—Every employee shall serve the National Housing Bank honestly and faithfully and shall use his utmost endeavours to promote the interest of the National Housing Bank and shall show courtesy and attention in all transactions.
- 7. Obligation to maintain Secrecy.—Every employee shall, wh'le in service or after his retirement, resignation or discharge, maintain the strictest secrecy regarding the National Housing Bank's affairs and the affairs of its constituents and shall not divided directly or indirectly, any information of a confidential nature either to a member of the public or to an outside agency or to any other employee of the National Housing Bank not entitled to such information unless—
 - (i) divulging of such information is in accordance with the law or in accordance with the practices and usages customery amought banks;
 - (ii) he is compelled to divulge such information by judicial or other authority;
 - (iii) instructed to do so by a superior officer in the discharge of his duties.
- 8. Giving of evidence.—(1) Save as provided in sub-regulation (3), no employee shall, except with the previous sanction of the competent authority, give evidence in connection with any inquiry conducted by any person, committee or authority.
- (2) Where any sanction has been accorded under sub-regulation (1), no employee giving such evidence criticise the policy or any action of the National Housing Bank or of the Government, or of a State Government.
- (3) Nothing in this regulation shall apply to any evidence given :--
 - (i) at an inquire before an authority appointed by the Government, State Government Parliament, a State Legislature or National Housing Bank; or
 - (ii) in any judicial inquiry; or
 - (iii) at any departmental inquiry ordered by the competent authority.
- 9. Demonstrations.—No employee shall engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to in the interests of the sovereignty and integrity of Iudia, the security of the State, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or which involves contempt of court, defamation or incitement to any offence.

- 10. Joining of associations prejudicial to interests of the country.—No employee shall join, or continue to be a member of, an association the objects or activities of which are prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India or public order or morality.
- 11. Prohibition against joining certain Associations and strikes, etc.—(1) No employee, who is not a 'workmen' within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947, shall—
 - (i) become or continue to be a member or office-bearer of, or be otherwise directly or indirectly associated with, any trade union of employees of the National Housing Bank who are 'workmen' within the meaning of that Act, or a federation of such trade unions:
 - (ii) resort to, or in any way abet, any form of strike or participate in any violent, unseemly or indecent demonstration in connection with any matter pertaining to his conditions of service or the conditions of service of any other employee of the National Housing Bank.
- (2) In relation to an employee who officiates in a higher grade or post which is not a grade or nost of a 'workman' as aforesaid, this regulation shall apply for so long as such employee officiates in such higher grade or post.
- 12. Prohibition against participation in politics and standing for elections.—No employee shall take part in politics or in any political demonstration, or stand for election as member of a Municipal Council. District Board or any other Local Body or any Legislative Body:

Provided that an employee shall not be deemed to have contravened the provisions of this regulation by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force;

Explanation: The display by an employee on his personal vehicle or residence of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within the meaning of this subregulation.

- 13. Contribution to Newspapers, Radio, etc.—(1) No employee shall, except with the previous sanction of the connectent authority, own wholly or in part, or conduct or participate in the editing or management of any newspaper or other periodical publication.
- 7) No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority or except in the bonafide discharge of his duties, participate in a radio broadcast or television telecast or contribute any article or write any letter either anonymously or in his own name or in the name of any other person to any newspaper or periodical or make public, or publish or cause to be published or pass on to others any document, paper or information which may come into his possession in his official capacity

(3) No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority publish or cause to be published any book or any similar printed matter of which he is the author or not to deliver talk or lecture in public meetings or otherwise:

Provided that no such sanction shall be required if such broadcast or contribution or publication is of a purely literary, artistic, scientific, professional, cultural, educational, religious or social character:

Provided further that this regulation will not apply to any statement to the press made by office-bearers of a registered Trade Union of the employees in any matter which is of the nature of trade dispute and does not contravene the provisions of Regulation 6.

14. Public demonstrations in honour of National Housing Bank employees.—(1) No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority, receive any complimentary or valedictory address or accept any testimonial or attend any meeting or entertainment held in his honour, or in the honour of any other employee of the National Housing Bank:

Provided that nothing in this regulation shall apply to :--

- (i) a farewell entertainment of a substantially private and informal character held in honour of the employee of the National Housing Bank on the occasion of his retrement, or transfer, or any person who has recently quitted the service of the National Housing Bank; and
- (ii) the acceptance of simple and inexpensive entertainment arranged by the association of employees of the National Housing Bunk.
- (2) No employee shall either directly or indirectly exercise pressure or influence on any employee of the National Housing Bank to induce or compel him to subscribe towards any farewell entertainment.
- 15. Employment after retirement.—(1) No employee of the National Housing Bank, who has retired from service shall, within a period of two years from the date when he finally ceases to be in the National Housing Bank's Service, accept or undertake a commercial employment except with the previous sanction in writing of the competent authority:

Provided that an employee who was permitted by the National Housing Bank to take up a particular form of commercial employment during his leave preparatory to retirement or during refused leave shall not be required to obtain subsequent permission for his continuance in such employment after retirement.

- (2) For the purpose of this Regulation, "commercial employment" means:—
 - (i) an employment in any capacity including that of an agent, under a Company, Cooperative Society, firm or individual engaged in trade, commercial, industrial, financial or professional business and also

- includes a directorship of such a company and partnership of such firm but does not metude employment under a body corporate wholly or substantially held or controlled by Government;
- (ii) setting up a practice, either independently or as a partner of a firm, as adviser or consultant in matters in respect of which the retired officer—
 - (a) has no professional qualifications and the matters in respect or which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience; or
 - (b) has professional qualifications but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients an untair advantage by reason of his previous official position; or
- (iii) undertaking work involving liaison or contact with the offices or officers of the National Housing Bank and or Government.

Explanation: For the purposes of this clause "employment under a co-operative society" includes the notding of any office, whether elective or otherwise such as that or President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like, by whatever name catled in such society.

- 16. Employees not to seek outside employment.—No employee shall accept, solicit, or seek any outside employment or office whether stipendiary or honorary without the previous sanction of the Competent Authority.
- 17. Part-time work for outside bodies.—No employee shall undertake part-time work for a private or public body or a private person, or accept any free therefor, without the sanction of the competent authority which shall grant the sanction only in exceptional cases when it is satisfied that the work can be undertaken without detriment to his official duties and responsibilities. The competent authority may, in cases in which it thinks fit to grant such sanction, stipulate that any fees received by the employee for undertaking the work shall be paid, in whole or in part, to the National Housing Bank.
- 18. Private Trading.—(1) No employee or class of employee shall, except with the approval of the National Housing Bank, engage directly or indirectly in any trade or business.
- (2) No employee shall, except with the previous sanction of the National Housing Bank, take part in the registration, promotion or management of any bank or other company registered under the Copanies Act or any other law for the time being in force:

Provided that an employee may take part in the registration, promotion or management of Co-operative Societies under the Co-operative Societies Act or any other law for the time being in force, which have been formed mainly by the employees of the National Housing Bank and for their benefit.

19. Acceptance of gifts etc.—(1) Save as otherwise provided in these regulations, no employee shall accept, or permit any member of his family any person acting on his behalf to accept any gift.

Explanation: The expression "gift" shall include free transport, boarding, lodging or other service or any other pecuniary advantage provided by any person other than a near relative or a personal friend having no official dealings with the employee but shall not include a casual meal, lift or other social hospitality.

- (2) On occasions, such as marriages, anniversaries, funerals or religious functions, when the making of a gift is in conformity with the prevailing religious or social practice, an employee may accept gifts from his near relatives but shall make a report to the competent authority if the value of the gifts exceeds Rs. 500.
- (3) On such occasions as specified in sub-regulation (2) an employee may also accept gifts from his personal friends having no official dealings with him but he shall make a report to the competent authority if the value of such gifts exceeds Rs. 200].
- (4) In any other case, the employee shall not accept any gifts without the sanction of the competent authority if the value of the gifts exceeds Rs. 75|-:

Provided that when more than one gift has been received from the same perion or concern within a period of 12 months the matter shall be reported to the competent authority if the aggregate value thereof exceeds Rs.500|-.

- (5) No employee shall solicit or accept or permit any member of his family or any person acting on his behalf to solicit or accept any gift from any person or institution having official dealings with the employee.

 (6) No employee shall—
 - (i) give or take or abet the giving or taking of dowry; or
 - (ii) demand directly or indirectly, from the parent or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry.

Explanation: For the purpose of this regulation, "dowry" has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

20. Speculations in stocks and shares and investments.—No employee shall speculate in any stock, share, or securities or commodities or valuables of any descriptions or shall make or permit any member of his family any investments which are likely to embarass or influence him in the discharge of his official duties.

No employee shall make investments in the acquisition of shares|debentures etc., in his name or in the names of spouse|children|brothers|father|mother|step-mother|step-children, etc., wholly dependent on the employee out of quota reserved for friends and associates of directors of the company. If an employee desires to acquire—shares|debentures etc. out of the

promoters' quota of a company under some exceptional circumstances (e.g. when a close relative of the applicant is the chief promoter director of the issuer company) he shall seek prior permission of the National Housing Bank for such acquisition. No employee shall apply for or accept allotment of shares securities out of the employees' quota of any company. Provided that nothing in this regulation shall be deemed to prohibit an employee from making a bona fide investment of his own funds in such manner as he may wish.

Explanation I: Frequent purchase or sale or both of shares or securities or other investments shall be deemed to be speculation for the purpose of this regulation.

Explaination II: Acquisition or acceptance of shares or any other security by any employee or by any member of his family from out of the Promoters' Quota of any company or organisation having official dealings with the National Housing Bank shall be deemed to be investment which is likely to embarass or influence the employee in the discharge of this official duties.

- 21. Restrictions on borrowings and lendings.—No employee shall in his individual capacity --
 - (i) borrow or permit any member of his family to borrow or otherwise place himself or a member of his family under a pecuniary obligation to a broker or a money lettler or a subordinate employee of the National Housing Bank or any person, association of persons, firm, company or institution, whether incorporated or not, having dealing, with the National Housing Bank;
 - (ii) buy or sell stocks, shares or securities of any description without funds to meet the full cost in the case of a purchase of scrips or delivery in the case of a sale;
 - (iii) incur debts at a race meeting;
 - (iv) lend money in private capacity to a constitment of the National Housing Bank or have personal dealings with such constituent in the purchase or sale of bills of exchange. Government paper or any other securities: and
 - (v) guarantee in his private capacity the pecuniary obligations of another person or agree to idemaify in such capacity another person from loss except with the previous permission of the competent authority:

Provided that an employee may, give to or accept from a relative or personal friend a purely temporary loan of a small amount free of interest or operate a credit account with a bona fide tradesman or make an advance of pay to his private employee:

Provided further that nothing in this regulation shall apply to a loan which an employee may obtain from a co-operative credit society of which he is a member or stand as a surety in respect of a loan taken by another member from a co-operative credit society of which he is a member.

22. Employees in debt.—An employee shall so manage his private affairs as to avoid habitual indebtedness or insolvency. An employee who is in debt shall furnish to the competent authority a signed statement of his position half-yearly on the 30th June and 31st December, and shall indicate in the statement the steps he is taking to rectify his position. An employee who makes a false statement under this regulation or who fails to submit the prescribed statement or appears unable to liquidate his debts within a reasonable time or applies for the protection of an insolvency court shall be liable to disciplinary action.

Explanation I: For the purposes of this regulation an employee shall be deemed to be in debt if his total liabilities exclusive of those which are fully secured or those taken from the Employees' Co-operative Credit Society exceed his substantive pay for 12 months.

Explanation II: An employee shall be deemed to be unable to liquidate his debts within a reasonable time if it appears, having regard to his personal resources and unavoidable current expenses, that he will not cease to be in debt within a period of three years.

- 23. Advance drawl of salary.—No employee shall draw his salary in advance without the previous sanction of the competent authority.
- 24. Subscriptions.—No employee shall, except with the previous sanction of the competant authority, ask for or accept contributions to, or otherwise associate himself with the raising of, any funds or other collections in cash or in kind in pursuance of any objective whatsoever.
- 25. Movable, Immovable and valuable property.—
 (1) Every employee, on his first appointment, shall submit a return of his assets and liabilities giving full particulars regarding:—
 - (a) the immovable property inherited by him, or owned or acquired by him or held by him on lease or mortgage, either in his name or in the name of any member of his family or in the name of any other persons;
 - (b) share, debentures and cash including bank deposits inherited by him or similarly owned or acquired or held by him;
 - (c) other movable property inherited by him or similarly owned, or acquired or held by him;and
 - (d) debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly:

Provided that in the cases of an employee who is already in service in the National Housing Bank on the date these regulations come into force, shall submit a return in terms of this regulation within three months of coming into force of these regulations, the return being with reference to the assets and l'abilities as enumerated above of the employee on the date these regulations come into force.

(2) Every employee shall, every year on a date to be specified by the National Housing bank submit a return of his immovable property to the National Housing Bank.

(3) No employee shall except with the previous knowledge of the competent authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family:

Provided that the previous sanction of the competent authority shall be obtained by the employee if any such transation is—

- (a) with a person having official dealings with the employee; or
- (b) otherwise than through a regular or reputed dealer.
- (4) Every employee shall report to the competent authority every transaction concerning movable property owned or held by him either in his own name or in the name of a member of his family if the value of such a property exceeds Rs. 10,000.

Provided that the previous sanction of the competent authority shall be obtained if any such transation is —

- (a) with a person having official dealings with the employee; or
- (b) otherwise than through a regular or reputed dealer.
- (5) The National Housing Bank may at any time, by general or special order, require an employee to furnish, within a period to be specified in the order, a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be specified in the order. Such a statement shall, if so required by the National Housing Bank, include the details of the means by which, or the sources from which, such property was acquired.
- 26. Seeking to influence.—No employee shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect to matters pertaining to his service under the National Housing Bank.
- 27. Employees not to be Absent from Duty or be Late in attendance.—(1) An employee shall not absent himself from his duties without having first obtained the permission of the competent authority, nor shall he be absent himself in case of sickness or accident without submitting a medical certificate satisfactory to the competent authority:

Provided that in case of unavoidable circumstances where availing of prior permission is not possible or difficult, such permission may be obtained later subject to the satisfaction of the competent authority that such a permission could not have been obtained:

Provided further that in case of temporary indisposition the production of a medical certificate may, at the absolute discretion of the competent authority, be dispensed with

(2) An employee who absents himself from duty without leave or overstays his leave, except under circumstances beyond his control for which he must tender a satisfactory explanation, shall not be entitled to draw any pay and allowances during such absence or overstayal, and shall further be liable to such disciplinary measures as the competent authority may impose:

Provided, however, that the competent authority may, at its absolute discretion, treat such period of absence or overstayal, if not followed by discharge, dismissal or termination of services of the employee, as period spent on privilege, sick, special or extraordinary leave, but the employee shall not be entitled as of right to such treatment.

(3) An employee who is habitually late in attendance shall, in addition to such other penalty as the competent authority may deem fit to impose, have one day of casual leave forfeited for every three days he is late in a month. Where such an employee has no casual leave due to him, the period of leave to be so forfeited may be treated as privilege or extraordinary leave as the competent authority may determine.

Explanation: The competent authority may, at its absolute discretion, condone late attendance by any employee up to two days in a moath, provided the circumstances under which the employee had to attend late were beyond his control and in that case such late attendance will not be taken into consideration for debiting the casual leave account in accordance with sub-regulation (3).

- 28. Absence from station.—No employee shall absent himself from his duty or leave the station, except on duty, without the prior permission of the competent authority.
- 29. Restrictions regarding marriage.—(1) (i) No employee shall enter into, or contract a marriage with a person having a spouse living; and
- (ii) No employee, having a spouse living, shall enter into, or contract a marriage, with any person:

Provided that the National Housing Bank may permit an Employee to enter into, or contract, any such marriage as is referred to in clause (i) or clause (ii) if it is satisfied that:—

- (a) such marriage is permissible under the personal law applicable to such employee and the other party to the marriage; and
- (b) there are other grounds for so doing.
- (2) An employee who has married or marries a person other than of Indian Nationality shall forthwith intimate the fact to the National Housing Bank.
- 30. Consumption of intoxicating drinks and drugs.—An employee shall—
 - (a) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force in any area

- in which he may happen to be for the time being:
- (b) not be under the influence of any intoxicating drink or drug during the course of his duty and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drink or drug;
- (c) refrain from consuming any intoxicating driak or drug in a public place;
- (d) not appear in a public place in a state of intoxication;
- (e) not use any intoxicating drink or drug to excess.

Explanation: For the purpose of this regulation the term 'public place' would include clubs (even exclusively meant for members where it is permissible for the members to invite non-members as guests) bars and restaurants, public conveyances and all other places or premises to which the public have or are permitted to have access, whether on payment or otherwise."

31. Vindication of acts and character of an employee.—No employee shall, except with the previous sanction of the National Housing Bank, have recourse to any court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of a defamatory character:

Provided that no hing in this regulation shall be deemed to prohibit an employee from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity and where any action for vindicating his private character or any act done by him in private capacity is taken, the employee shall submit a report to his immediate superior regarding such action.

- 32. Acts of misconduct.—A breach of any of the provisions of the regulations contained in this Chapter shall be deemed to constitute a misconduct punishable under the National Housing Bank Employees' (Discipline and Appeals) Regulations, 1994
- 33. Repeal and Saving.—(1) Every rule, regaintion, bye-laws or every provision in any agreement or a resolution corresponding to any of the regulations herein contained and in force immediately before the commencement of these regulations and applicable to the employees is herby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal any order made or action taken under the provisions so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

[File No. NHB(ND) |STF|POL|26-COND|95)]

By order of the Board
P. K. HANDA, General Manager
National Housing Bank

राष्ट्रीय श्रावात क्षेप्र कर्मचारीं (मगुशासन भौर श्रपील) विनिवस, 1994

प्रधिसूचना

मई दिल्ली, 3 फरवरी, 1995

का.श्रा. 77-क (म्र): — राष्ट्रीय भावास बैंक भ्रधि-नियम, 1987 (1987 का 53) की धारा-55 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व भ्रनुमति से श्रीर केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करके, एतद्दारां, निम्नलिखित विनियम बनाता है, भर्यात् :—

ग्रध्याय-1

प्रारम्भिक

- मंक्षिप्त नाय, प्रारम्भ श्रौर लागृ होना—-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय श्रावास बैंक कर्मजारी (श्रनुशासन ग्रौर श्रपील) विनियम, 1994 है।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्न में उनके प्रकाशन की नारीख में प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये विनियम राष्ट्रीय श्रावास बैंक के प्रत्येक पूर्ण-कालिक कर्मकारी पर लागू होंगे जब तक कि श्रन्यथा किसी संविदा/करार या नियुक्ति पत्न की शर्ती द्वारा कोई प्रावधान न किया गया हो लेकिन निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :-
 - (क) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्रौर
 - (ख) ग्रस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचौरी :
- 2. परिभाषाएं:---इन विनियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो:
- (क) "ग्रधिनियम" से राष्ट्रीय ग्रावास बैंक ग्रधिनियम, 1987 (1987 का 53) श्रभिप्रेत है;
- (ख) ''श्रपीलीय प्राधिकारी'' से श्रपीलों का निपटान करने के लिए श्रनुसुची में <mark>विनिर्दिष्ट प्रा</mark>धिकारी ग्रभिप्रेत हैं;
- (ग) "सक्षम प्राधिकारी" से श्रिभिन्नेत उस प्राधिकारी से है जिसे इन विनियमों के प्रयोजनार्थ कोर्ड द्वारा नियृक्त किया गया हो;
- (घ) "ग्रनुणासनिक प्राधिकारी" से भ्रनुसूची में विनि-दिल्ट बहु पाधिकारी श्रभिप्रेत है जो किसी कर्मभारी को विनियम । में यिनिदिष्ट किसी भी प्रकार का दंड देने के जिए सक्ष्म है:
 - (अ.) 'सरकार' सं कन्द्रीय सरकार भ्रामिप्रेत है;
- (च) "लोक वित्तीय संस्थाद्यों" में विम्नलिखित अभि-प्रेन हैं —-
 - (1) भारतीय श्राँखोगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेंड, जो भारतीय कंपनी श्रीधनियम, 1913

- (1913 का 7) के अधीर गठित और पंजीकृत कंपनी है;
- (2) भारतीय सौद्योगिक वित्त निगम, जो सौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 3 के स्रतीन स्थानित है:
- (3) भारतीय द्योद्योगिक विकास वैक, जो भारतीय श्रीद्योगिक विकास बैंक श्रिधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 3 के श्रिपीन स्थापिन है;
- (4) भारतीय जीवन बीमा निगम, जो जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 3 के अधीन स्थापित है;
- (5) भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जौ भारतीय यूनिट ट्रस्ट स्रिधिनयम, 1963 (1963 का 52) की धारा 3 के भ्रधीन स्थाभित है;
- (6) ऐसी कोई अन्य विसीय संस्था जिसे केन्द्रीय सरकार ने अधिमूचना द्वारा लोक विसीय संस्था घोषित किया है;
- (छ) 'मरकारी क्षेत्र के बैंक'' से निम्नलिखित श्रिभिन्नेत है :—
 - (1) बैंककारी कपनी (उपक्रमों को ग्रर्जन ग्रीर श्रतरण ग्रिधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का ग्रर्जन ग्रीर श्रंतरण) ग्रिधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के श्रधीन स्थापित तस्त्यानी कोई नया बैंक;
 - (2) भारतीय स्टेंट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेंट बैंक;
 - (3) भारतीय स्टेट बैंक (श्रनुषंगी बैंक) ग्रधिनियम, 1959 (1959 का 38) के ग्रधीन गठिल कोई श्रनुषंगी बैंक;
 - (4) ऐसा अन्य कोई बैंक जिसे केन्द्रीय सरकार उसके निगमन की रीति को ध्यान में रखते हुए, इन विनियमों के उद्देग्यों के लिए सरकारी क्षेत्र का वैंक अवधारित करे.
 - (ज) ''लोक नेवक'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत ह जिसे भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 में लोक नेवक के रूप में परिभाषित किया गया है;
 - (अ) "पुनर्विलोकन प्राधिकारी" से श्रनृसूची में विनि-दिष्ट प्राधिकारी श्रीभिप्रेत है:
 - (জা) "अनुसूची" से इन विनिधनों से उपात्रद्ध श्रनु-सूची श्रमित्रेत है;
 - (ट) यहां प्रयुक्त सब्द झोर श्रशिब्यक्तियां जिनकी परिभाषा इन विनियमों में महीं की गई है परंतु अधिनियम

में परिभाषित है, उनके वही प्रश्नं होंगे जो प्रधिनियम में खनके लिए निर्धारित किए गए हैं।

- 3. (1) विनियमों की व्याख्या करने और कार्यान्तित करने की शक्ति:——(1) इन विनियमों की व्याख्या करने की शक्ति ग्रध्यक्ष में निहित है, जिसे एतव्हारा यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी वनाने या उनके प्रयोजनों पर ग्रमल करने के लिए या ग्रन्यथा राष्ट्रीय ग्रावास वैंक के कर्मचारियों पर प्रभावशाजी नियंक्षण रखने के लिए यथावश्यक प्रशामनिक ग्रनुदेश आरी करें।
- (2) इन विनियमों के अंतर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोग करने योग्य अक्तियां किसी सन्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी जो पहले बताए गए प्राधिकारी से प्रवर हों।

अध्याय—-II अनुशासन

4. शास्तियां:—- भ्रयचार के कार्यों के लिए या किसी भ्रन्य ठोस और पर्याप्त कारण से किसी कर्मचारी पर भ्रधि-रोपित की जा सकते वाली शास्तियां निस्तिखित हैं—

लबु गास्तियां--(क) परिनिन्दा;

- (ख) संचयी प्रभाव सहित या उसके बिना वैतनवृद्धियों का रोका जाना;
 - (ग) प्रोन्नित का रोका जाना;
- (घ) उपेक्षा या आदेशों के भंग द्वारा राष्ट्रीय मातास बैंक को हुई धन संबंधी हानि को उसके वेतन से या उसकी शोध्य धन्त्र रकम से पूर्णतः या भागतः बसूल करना।

वड़ी जास्तियां—-(ड.) गिम्ततर ग्रेष्ट था पद पर या काल वेतनसान में सिम्ततर प्रक्रम पर श्रवनति;

- (च) ग्रनियार्य सेवानिवृत्ति;
- (छ) सेवा से हटाया जाना, जो प्रभावी वियोजन के लिए निर्म्हना नहीं होगी;
- (ज) पदच्युति जो मम्मान्यतः भावी नियोजन के लिए निरहीता होगी।

स्पष्टीकरण: इ.प. विनियम के श्रर्थ के अंतर्गत निम्नलिखित की शास्ति नहीं माना जाएगा, यथा—

- (1) किसी कर्मचारी द्वारा धारित पद पर उसकी तिसृक्ति के नियंधनो के धनुसार विहित किसी विभागीय परीक्षण या परीक्षा में ध्रसफल रहने के कारण उसकी एक या अधिक वेतनवृद्धियों को रोका जाना;
- (2) किसी फर्मचारी के दलतारोध पार करने में ग्रनुपयुक्त होने के धाधार पर काल वेतनशान में दक्षतारोध पर उसके वेतन का रोका जाना;

- (3) किसी कर्म्भारी को ऐसे उच्चतर ग्रेड या पद पर स्थानापन की हैसियत ने अथवा प्रत्यथा श्रीन्तत ने कथा जाना जिसके निए वह विचार किए जाने का पान्न कि किस जाने किए वह माभले पर विचार किए जाने के पण्चात् अनुपयुक्त पाया जाए:
- (4) किसी उच्चतर ग्रेड या पद पर स्थानापरन के स्प में कार्यरन किसी कर्मचारी का किसी निस्ततर ग्रेड या पद पर इस श्राधार पर प्रति-वर्तन के परीक्षण के पश्चात उले ऐसे उच्चतर ग्रेड या पद के लिए अनुपयुक्त पाया गया है या ऐसा करने के लिए उसके आचरण से असंबद्ध प्रमानक ग्राधार है:
- (5) किसी अन्य ग्रेड या पट पर नियुक्त किसा कम-चारी की नियुक्ति के निबंधनों या ऐसी परिवीक्षा की शासित करने वाले नियमों या श्रादेशों के लानुसार, परिवीक्षा की अवधि के दौरान या अंत में उसके पूर्ववर्सी ग्रेड या पट पर प्रतिवर्तन;
- (6) किसी कर्मचारी का उस दशा में मूल संगठन में प्रतिवर्तन जब वह प्रतिनियुधित पर आया हो;
- (7) सेवा समाध्तः :---
 - (क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी कर्मभारी की नियुक्ति के निबंधनों या ऐसी परिवीक्षा की कासित करने वाले नियमों या आदेशों के प्रमुसार परिवीक्षा की अविध के दौरान या अंत में सेवा की समाप्ति:
 - (ख) भिर्ती संविदा या करार के प्रधीन श्रायक्षा किसी श्रस्थायी हैंसियत में नियुक्त किसी कर्मचारी की, उसकी नियुक्ति के निबंधनीं के श्रन्सार उस श्रवधि के श्रवसान पर या उससे पूर्व जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था, सेवा की समान्त;
 - (ग) किसी मंबिटा या करार के सधीन नियुक्त किसी कर्मचारी की सेवाओं की ऐसी संविदा या करार के निबंधनों के अनुसार समाप्ति; और
 - (घ) पद के जन्मूलन पर किसी कर्मचारी की सेवा को समाप्ति।
- (8) किसी कर्मचारी द्वारा श्रधिवर्षिता की श्रायु प्राप्त , कर लेने पर, ऐसी श्रधिवर्षिता को शासित करने वाले नियमों और शःदेशों के अनुसार, सेवा निवृत्ति;
- (9) किसी स्थायी कर्मचारी को तीन महीने का नोटिस देकर या नोटिस के बदले तीन महीने का घेतन

और भत्ते का संदाय करके उसके नियोजन की समाप्ति:

- (x) किसी कर्मचारी को राष्ट्रीय श्रावास बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय श्रावास बैंक की सेवा में बने रहने के लिए श्रनुपयुक्त घोषित किए आने पर चिकित्सीय श्राधारों पर उसके नियोजन की समाप्ति।
- 5. श्रनुशामनिक कार्यवाहियां और शास्तियां श्रिधरोपित करने के लिए प्राधिकारी——(1) अध्यक्ष या उसके द्वारा संशक्त कोई श्रन्य प्राधिकारी, साधारण या विशेष श्रादेण द्वारा राष्ट्रीय श्रावास कैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध श्रनुशामनिक कार्यवाहियां कर सकेंगा या ऐसी कार्यवाहियां करने का निदेश श्रनुशामन प्राधिकारी को दे सकेंगा।
- (2) श्रनुणासन प्राधिकारी स्वयं श्रन्णासनिक कार्य-वाहियां कर सकेगा।
- (3) श्रनुणासन प्राधिकारी या उसने उच्चतर कोई प्राधिकारी विनियम 4 में विनिर्विष्ट शास्तियों में से कोई णास्ति किसी कर्मचारी पर श्रधिरोपित कर सकेगा।
- 6. बड़ी शास्तियां स्रिधिरोपित करने की प्रिक्रिया——(1) विनियम 4 के खण्ड (च), (छ), (ज) और (झ) में विनिर्दिष्ट बड़ी शास्तियों में से कोई शास्ति स्रिधिरोपित करने में सबंधित कोई भी स्रादेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक इस विनियम के श्रनुसार इसकी आंच नहीं की जाती है।
- (2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी कर्मचारी के विश्व श्रवचार या कदाचार के किसी श्रम्यारोप की मत्यता की जीच करने के श्राधार हैं तब सक वह स्थयं इसकी सत्यता की जांच कर सकेगा या किसी श्रन्य लोक सेवक को (जिसे इसमें इसके पण्चात् "जीच प्राधिकारी" के रूप में निदिष्ट किया गया है) उसकी सत्यता की जींच करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण: जब अनुशासन प्राधिकारी स्वयं जांच करता है तब उप-विनियम (8) से उप-विनियम (21) तक में जांच प्राधिकारी के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अनुशासन प्राधिकारी के प्रति निर्देश है।

(3) जहां जांच की जाने की प्रस्थापना है वहां सनुशासन प्राधिकारी कर्मचारी के विकट स्रिक्षित और सुभिन्न स्रारोप विरचित करेगा और उन
स्रिक्षित और सुभिन्न स्रारोप विरचित करेगा और उन
स्रिक्षित और सुभिन्न स्रारोप की मदें, जिन पर वह
स्राधारित हैं, कर्मचारी को लिखिन रूप में सूचित की
जाएंगी तथा उसमे यह स्रपेक्षा की जाएंगी कि वह श्रदुशासन प्राधिकारी द्वारा विनिद्दिष्ट किए जांग वाले समय
(15 दिन से श्रनधिक) के भीतर या इतने बढ़ाए गए
समय के भीतर जो उक्त प्राधिकारी द्वारा मंत्रूर किया जाए,
स्रपने प्रतिवाद का लिखित कथन प्रस्तुत करें।
247 GI/95—3

(4) कर्मचारी का लिखित कथन प्राप्त होने पर या यदि ऐसा कथन विनिदिन्द समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो स्वयं अनुशासन प्राधिकारी द्वारा जांच की जाएगी या यदि वह श्रावण्यक समझे तो इस प्रयोजनार्थ उप-विनियम (2) के श्रधीन वह जांच प्राधिकारी निष्यत कर सकेगा।

परन्तु उन आरोपों की मदों की बाबन जांच करना आयश्यक नहीं होगा जिन्हें कर्मचारी ने अपने लिखित कथन में स्वीकार कर लिया है, किन्तु ऐसे प्रत्येक आरोप पर उसके निष्कर्षों को अभिलिखिन करना आयश्यक होगा।

- (5) जब भ्रनुशासन प्राधिकारी स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है तब वह जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित प्रेषित करेगा:
 - (i) त्रारोप की मदों और प्रवचार या कदाचार के श्रभ्यारोपों के कथनों की एक प्रति:
 - (ii) कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद के लिखित कथन की, यदि कोई हो, एक प्रति;
 - (iii) उन दस्तावेजों और उन साक्षियों की एक सूची जिनके द्वारा ग्रारोप की मदों को सिद्ध किए जाने की प्रस्थापना है;
 - (iv) साक्षियों के कथनों की, यदि कोई हो, एक प्रति;
 - (Vi) उप-विनियम (3) के अधीन भ्रारोपों की मदों के परिदान को साबित करने के लिए साक्ष्य;
 - (vi) उप-विनियम (6) के निबंधनों के श्रनुसार प्रस्तुतकर्ता ग्रिधिकारी की नियुक्ति में संबंधित श्रादेश की एक प्रति ।
- (6) जहां श्रन्णासन प्राधिकारी स्वयं जांच करता है या जांच करने के लिए जांच प्राधिकारी की नियुक्ति करता है वहां वह किसी श्रादेश द्वारा राष्ट्रीय श्रावास बैंक के किसी कर्मचारी को, जिसे "प्रस्तुतकर्ता श्रधिकारी" कहा जाएगा, श्रारोप की मदों के समर्थन में श्रपनी और से मामला प्रस्तुन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।
- (7) कर्मचारी किसी अन्य कर्मचारी की सहायता लें सकेगा, किन्तु इस प्रयोजनार्थ तब तक किसी विधि ध्यवसायी को नहीं रख सकेगा जब तक कि अनुशासन प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई विधि-व्यवसायी न होया अन्शासन प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसकी अन्जा न दे।

स्पटीकरण: कर्मचारी किसी ऐसे दूसरे कर्मचारी की महायता नहीं लेगा जिसके पास श्रनुशासन के ऐसे दो मामले लम्बित हों जिनमें उसे सहायता देनी हैं। o e se member deser le leuser

- (8) (क) आंच प्राधिकारी लिखित सूचना द्वारा वह विन विनिर्दिष्ट करेगा जब कर्मचारी जांच प्राधिकारी के समक्ष स्वयं हाजिर होगा।
- (ख) कर्मचारी जांच प्राधिकारी द्वारा नियत तारीख को, सूचना में विनिर्दिष्ट समय, स्थान और तारीख पर जांच प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होगा।
- (ग) जांच प्राधिकारी चार्जंशीट किए गए कर्मंचारी से यह पूछेगा कि क्या वह दोषी होने का ग्राभवचन करता है या क्या उसे कोई प्रतिवाद करना है और यदि वह आरोप की मदों में से किसी मद की बाबत दोषी होने का ग्राभिवचन करता है तो जांच प्राधिकारी उस अभिवचन को ग्राभिलेखित करेगा, ग्राभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर संबंधित कर्मचारी का हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।
- (घ) जांच प्राधिकारी उस आरोप की मदों की बाबत, जिनके लिए संबंधित कर्मचारी ने दोषी होने का श्रभिवचन किया है, दोषी होने का निष्कर्ष निकालेगा।
- (9) यदि कर्मचारी दोषी होने का ग्रिभवचन मही करता है तो जांच प्राधिकारी 30 दिनों से ग्रनिधक की पश्चवर्ती तारीख के लिए या इतने बढ़ाए गए समय तक के लिए, जैसा जांच प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जाए, मामला स्थिति रखेगा।
- (10) (क) यदि कर्मचारी श्रारोप की सभी या किन्हीं मदों को स्वींकार नहीं करता है तो जांच प्राधिकारी ऐसे कर्म चारी को उन दस्तावेजों और उन साक्षियों की एक सूची देगा जिनके द्वारा श्रारोप की मदों को सादित किए जाने की प्रस्थापना है।
- (ख) जांच प्राधिकारी यह आदेश भी प्रभिलिखित करेगा कि कर्मचारी श्रपने प्रतिवाद को तैयार करने के प्रयोजनार्थ:---
 - (i) भादेश के पांच दिन के भीतर या जांच प्राधिकारी द्वारा अनुशात किए जा सकने वाले पांच दिन से अनिधिक के प्रतिरिक्त समय के भीतर सूचीबद्ध दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा;
 - (ii) उन दस्तावेजों और साक्षियों की सूची प्रस्तुत करेगा जो वह जांच के लिए चाहता है;
 - (iii) पूर्व में श्रभिलिखित साक्षियों के कथनों की प्रतियां, यदि कोई हों, प्राप्त कर सकेगा और जांच प्राधिक कारी साक्षियों की परीक्षा प्रारंभ करने के कम से कम तीन दिन पहले उसे ऐसी प्रतियां देगा:
 - (iv) श्रादेश के दस दिन के भीतर या जांच प्राधिकारी द्वारा श्रनुझात किए जा सकते वाले दस दिन से श्रनधिक के अतिरिक्त समय के भीतर सद संख्या (ii) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश किए जाने के लिए सुवना दे सकेगा

- स्पष्टीकरण: सद संख्या (ii) में निर्दिष्ट दस्तावेजों भ्रीर साक्षियों की परीक्षा की सुसंगति संबंधित कर्म-चारी द्वारा दी जाएगी।
- (11) जांच प्राधिकारी दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर उसे या उसकी प्रतियां, उस प्राधिकारी को, जिसकी ग्रभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेजें रखी जाती हैं, इस ग्रध्यपेक्षा के साथ प्रेषित करेगा कि वह ऐसी तारीख को दस्तावेज प्रस्तुत करे जैसी निर्दिष्ट की जाए।
- (12) उप-विनियम (ii) के अधीन अध्यपेक्ष प्राप्त होने पर, वह प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अध्यपेक्षित दस्तावेज हैं, अध्यपेक्षा में विनिर्विष्ट नारीख, स्थान शौर समय पर जांच प्राधिकारी के समक्ष उनके पेश किए जाने की व्यवस्था करेगा ।

परन्तु प्रध्यपेक्षित दस्तावेजों को श्रपनी स्रभिरक्षा या श्रपने कब्जे में रखने वाला प्राधिकारी उस स्थिति में विशेषा-धिकार का दावा कर सकेगा जब ऐसे दस्तावेजों का पेण किया जाना लोकहित या राष्ट्रीय श्रावास बँक के हित के प्रतिकूल हो । ऐसी दणा में वह जांच प्राधिकारी को तदनुसार मूचित करेगा ।

- (13) जांच के लिए नियत तारीख की वह मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य, जिसके द्वारा ग्रारोप की मदों को साबित किए जाने की प्रस्थापना है, श्रनुशासन प्राधिकारी द्वारा या उसकी और से पेण किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता श्रधिकारी द्वारा पेण किए गए साक्ष्यों की परीक्षा प्रस्तुतकर्ता श्रधिकारी द्वारा की जाएगी और कर्मचारी द्वारा या उसकी श्रीर से प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ऐसे बिन्दुओं पर श्रपने माक्षियों की पुनः परीक्षा करने को एक होगा जिन पर उलको प्रतिपरीक्षा की गई है, परन्तु जांच प्राधिकारी की इजाजन के बिना किसी नए विषय पर पुनः परीक्षा करने का उसे हक नहीं होगा। जांच प्राधिकारी माक्षियों से ऐसे प्रयन भी कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।
- (14) श्रारोपों के समर्थन में मामला समाप्त होने में कें पूर्व जांच प्राधिकारी अपने विवेकानुसार प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ऐसे साध्य पंश करने की अनुशा दे सकेगा जो आरोप पत्र में सिम्मिलत नहीं है या स्वयं नया साध्य मंगवा सकेगा या धिसी साक्षी को पुनः बुला सकेगा या इसकी पुनः परीक्षा कर सकेगा । ऐसी दशा में कर्मचारी को दस्तावेजी साध्य के अभिलेखबढ़ होने में पूर्व निरीक्षण करने या किसी ऐसे साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा जिसे समन दिया गया है । यदि जांच प्राधिकारी की यह राय हो कि न्याय के हित में नया साक्ष्य पेण करना आवण्यक है तो वह कर्मचारी को ऐसे साक्ष्य पेण करने की अनुजा दे सकेगा ।
- (15) जब स्रारोपों के समर्थन में माभला समाप्त कर दिया जाता है तो कर्मचारी से यह स्रपेक्षा की जा सकेगी कि

वह प्रयने प्रतिवाद में मौखिक या लिखित रूप में, जैसा वह ठीक समझे, कथन करें। यदि प्रतिवाद मौखिक रूप से किया जाता है तो उसे श्रिभिलिखित किया जाएगा श्रांर कर्मचारी मे श्रिभिलेख पर हस्ताक्षर करने की श्रिपेक्षा की जाएगी। दोनों ही दशाओं में प्रतिवाद कथन की एक प्रति प्रस्तुतकर्मा श्रीधिकारी को, यदि ऐसा कोई श्रीधिकारी नियुक्त किया गया है, दी जाएगी।

- (16) तत्परचान कर्मचारी की ग्रोर से मास्य पेश किया जाएगा। यदि कर्मचारी चाहे तो वह अपनी ग्रोर से स्वयं अपनी परीक्षा कर मकेगा। इसके परचान कर्मचारी द्वारा पेश किए गए माक्षियों की परीक्षा कर्मचारी द्वारा की जाएगी श्रौर प्रस्तुनकर्ता श्रिधकारी द्वारा उनकी प्रतिपरीक्षा की जा सकेगा। कर्मचारी को श्रपने माक्षियों में से किसी की किन्हीं ऐसे बिन्दुशों पर पुनः परीक्षा करने का हक होगा जिन पर उनकी प्रतिपरीक्षा की गई हैं, किन्तु जाच श्राधकारी की इजाजन के बिना किसी नए विषय पर पुनः परीक्षा करने का उमे हक नहीं होगा।
- (17) कर्मचारी द्वारा श्रवना साध्य बंद कर दिए जाने के पश्चात साध्य में उनके विरुद्ध प्रकट होने वाली किन्ही परिस्थितियों को स्पष्ट करने में उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए जांच प्राधिकारी साध्य में उसके विरुद्ध प्रकट होने वाली परिस्थितियों के संबंध में उसके प्रश्व सुक्ष सकेगा और यदि कर्मचारी ने स्वयं अपनी परीक्षा नहीं कराई है तो उससे प्रश्न पुछेगा।
- (18) साक्ष्य पेश किए जाने के पूरा करने के पश्चात् जांच प्राधिकारी प्रस्तुतकर्ता ग्रधिकारी को यदि नियुक्त किया गया हो, और कर्मचारी को सुन सकेगा या यदि वे चाहे तो साक्ष्य पेश किए जाने को पूरा करने की तारीख से 15 दिन के भीतर ग्रयने-अपने मामलों का लिखित बीक फाइल कर सकेंगे।
- (19) यदि कर्मचारी उप विनियम (3) में निर्विष्ट प्रतिवाद का निखित कथन इस प्रयोजन के लिए विनिर्विष्ट तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुन नहीं करता है या स्वयं या सहायक कर्मचारी के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है या प्रत्यथा इन विनियमों के किसी उपबंध का अनुपालन करने में चूक करता है या उसमे ईकार करता है तो जांच प्राधिकारी एक पक्षीय जांच कर मकेगा।
- (20) जब कभी किसी जांच में पेण किए गए सभी माध्य या उसके किसी भाग को सुनने और श्रिभिनेखित करने के पश्चात किसी जांच प्राधिकारी की श्रिधिकारिक श्रविध समान्त हो जाती है और कोई श्रव्य ऐसा जांच प्राधिकारी उसका उन्तरवर्ती हो जाता है जिम ऐसे श्रिधिकारिता है और जो उसका प्रयोग करता है तो उत्तरवर्ती जांच अधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा श्रिभिलिखित या भागतः श्रपने पूर्ववर्ती द्वारा श्रिभिलिखित और भागतः श्रपने द्वारा श्रिभिलिखित साध्य पर कार्रवाई कर सकेगा।

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी ऐसे साक्षी की ग्रितिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में ग्रावश्यक है जिसका साक्ष्य पहले ही ग्राभिलिखित किया जा चुका है तो वह ऐसे साक्षी को इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से पुनः बुला सकेगा उसकी परीक्षा प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकेगा।

- (21) (i) जांच पूरी होने पर जांच प्राधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित बाते होंगी:—
 - (क) अरोत की मदों और श्रवचार या कदाचार के अस्यारोपों के कथन का सार;
 - (ख) ब्रारोप की प्रत्येक भद के बारे में कर्मचारी के प्रिनवाद का सार;
 - (ग) श्रारोप की प्रत्येक मद के बारे में साक्ष्य का मूल्यांकन;
 - (घ) आरोप की प्रत्येक मद के बारे में किया गया निष्कर्प और उसके कारण।

स्पष्टीकरण:~--यांद जांत्र प्राधिकारी की राय में जांस की कार्यवाहियों द्वारा मूल श्रारोप की मद से भिन्न कोई श्रारोप की मद सिद्ध होती है तो यह ऐसे श्रारोप की मद के बार में श्रपना निष्कर्ष श्रभिलिखित कर सकेगा।

परन्तु ऐसे आरोप की मद के बारे में निष्कर्ष तब तक अभिनिखित नहीं किए आएंगे जब तक कर्मचारी ने उन तथ्यों को स्वीकार न कर लिया हो कि जिन पर ऐसे आरोप की मद आधारित है या उते ऐसे आरोप की मद के विषद्ध प्रतिवाद का उचित अवसर न मिल गया हो।

- (ii) जहां जांच प्राधिकारी स्वयं श्रनुशासन प्राधिकारी नहीं है दहां यह जांच के श्रभिलेखा श्रनुशासन प्राधिकारी को प्रेषित करेगा जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :--
 - (क) उसके द्वारा खण्ड (i) के प्रधीन तैयार की गई जांच रिपोर्ट;
 - (ख) कर्मनारी द्वारा प्रस्तुत उप विनियम (15) में यथानिर्दिष्ट प्रतिवाद का लिखित कथन यदि कोई हो;
 - (ग) जांच के दारान पेश किया गया मोखिक और दस्तावेजी साक्ष्य;
 - (घ) उप विनियम (18) में निर्दिष्ट लिखित श्रीफ, यदि कोई हों; और
 - (ङ) जांच के संबंध में म्रतुशासन प्राधिकारी और जाच प्राधिकारी द्वारा किए गए स्रादेश, यदि कोई हो।

- 7. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई :- (1) यदि अनुशासन प्राधिकारी स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है तो वह ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे, नवीं या अतिरिक्त जांच के लिए तथा रिपोर्ट देने के लिए मामला जांच प्राधिकारी को प्रेपित करेगा और तब जांच प्राधिकारी जहां तक हो सके विनियम 6 के उपबंधीं के प्रमुसार अतिरिक्त जांच कर सकेगा।
- (2) यदि अनुशासन प्राधिकारी आरोप की किसी मद के बारे में जांच प्राधिकारी के निष्कपी से असहगत हो तो वह ऐसी असहमति के कारणों को अभिलिखित करेगा और यदि इस प्रयोजन के लिए अभिलेख पर प्रयोजन साक्ष्य है तो आरोप के बारे में अपना निष्कष्ठ अभिलिखित करेगा।
- (3) यदि ब्रारांप की सभी या किन्हों मधों पर ब्रयनं निष्कषी को ध्यान में रखते हुए अनुशासन प्राधिकारी की यह राथ हो कि विनियम 4 में विनिद्धित कोई शास्ति कर्मचारी पर अधिकीपत की जानी चाहिए तो वह विनियम 8 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी शास्ति अधिकीपत करने से संबंधित आदेश करेगा।
- (4) यदि श्रारोप की सभी या किन्हीं मदी पर श्रपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अनुशासन प्राधिकारी को यह राय हो कि कोई शास्ति अपेक्षित नहीं है तो वह भंबद्ध अधिकारी/कर्मचारी को इससे मुक्त करने से संबंधित ब्रादेश पारित करेगा।
- 8. लघु गास्तियां श्रिधरोपित करने की प्रिक्रिया :---(1) जहां विनियम 4 के खण्ड (क) से (घ) तक विनिदिण्ड लघु शास्तियों में में किसी गास्ति को श्रिधरोपित किए
 जाने की प्रस्थापना है वहां संबद्ध कर्मचारी की उसके विष्द्ध
 गल्तियों के अभ्यारोगों की लिखित रूप में सूचना दी जाएगी
 और उमें 15 दिन के अन्धिक की विनिदिष्ट अविध या अनुगासन प्राधिकारी द्वारा मंज्र की गई किसी विस्तारित अविध
 के भीतर अपने प्रतिवाद का लिखित कथन द्वारा प्रस्तुत करने
 का अवसर दिया जाएगा तथा कर्मचारी द्वारा प्रतिवाद कथन
 यदि कोई हो प्रस्तुत किथा जाता है तो उस पर अनुणासन
 प्राधिकारी आदेश पारित करने से पूर्व विचार करेगा।
- (2) फिर भी जहां अनुभासन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि जांच आवश्यक है वहां वह विनियम 6 में अधिकथित कोई बड़ी णास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।
- (3) ऐसे मामलों में कार्यवाहियों के अभिलेख में निम्निलिखित सम्मिलित होंगे :---
 - (i) कर्मचारी को दिए गए गल्तियों के अभ्यारोपों के कथन की एक प्रति,
 - (ii) कर्मचारी को प्रतिवाद कथन यदि कोई हो; और
 - (iii) श्रनुशासन प्राधिकारी के श्रादेश और उसके लिए कारण ।

- 9. श्रादेशों की संसूचना:—श्रनुशासन प्राधिकारी द्वारा विनियम 7 और विनियम 8 के श्राधीन दिए श्रादेण सम्बद्ध कर्मचारी की संभ्वित किए जाएंगे और उसे जांच रिपोर्ट को यदि कोई हो एक प्रति भी प्रदत्त को जाएगी।
- 10. सामान्य कार्यवाहियां :— जहां किसी मामले में दो या दो से अधिक कर्मचारी संबद्ध हो वहां ऐसे सभी कर्म- चारियों पर बड़ी शास्ति अधिरापित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यह श्रादेश दे सकेगा कि उन मभी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां मामान्य कार्यवाहीं के रूप में की जाये।
- 11. कुछ मामलों में विशेष प्रिक्तियाः—विनियम 6 या विनियम 7 या विनियम 8 में अंतिब्ट किसी बात के होते हुए भी श्रनुणासन प्राधिकारी विनियम 4 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति उस स्थिति में श्रिधरोपित कर सकेगा जब कर्मचारी को श्रापराधिक ग्रारोप पर या किसी न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्यों पर निष्कर्षों के बल पर दोष सिद्ध किया गया है या जहां कर्मचारी ने श्रपने पद का परित्याग कर दिया है।
- स्पष्टीकरणः इस विनियम के प्रयोजन के लिए किसी कर्म-चारी द्वारा पद का परित्याग किया हुआ माना जाएगा यदि वह छुट्टी के बगैर इयूटी से अनुपस्थित रहता है या इसके लिए लिखित रूप में किसी प्रकार की सूचना के बगैर 90 दिन की लगातार श्रविध के लिए छुट्टी के उपरांत श्रनुपस्थिन रहता है।
- 12. निलम्बन:---(1) कोई कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलम्बन किया जा सकेगा:---
 - (क) यदि उसके विरुद्ध धनुशासनिक कार्यवाही धनुध्यात है या लम्बित है; या
 - (स्व) यदि उसके विरुद्ध किसी दांडिक श्रपराध की बाबत कोई मामला श्रन्वेषण, जाच या विचारण के श्रधीन है।
 - (2) किसी कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी के आदेश में निम्नलिखित तारीख से निलम्बित किया गया समझा जाएगा:—
 - (क) यदि उसे श्रापराधिक आरोप पर या अन्यया 48 घंटे से श्रनधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है तो उसके बिरुद्ध रखे जाने की तारीख में ;
 - (ख) यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने की वशा में उसे 48 घंटे से अनिधिक अविधि के कारावास का दंडादेण दिया गया है और उसे ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरुप तत्काल पदच्युत नहीं किया गया है या अनिवार्य क्ष्य से सेवानिवृत्ति नहीं किया गया है तो दोष-सिद्धि की तारीख से।

स्पष्टीकरण:—इस उप-विनियम के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट 48 घंटे की श्रवधि की संगणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास श्रारम्भ होने के समय मे की जाएगी और इस प्रयोजनार्थ कारावास की श्रांतराधिक श्रवधि, यदि कोई हो, गणना में ली जाएंगी।

- (3) जहां किसी निलम्बनाधीन कमंचारी पर श्रिधिरोपित सेवा से पदच्युति, हटाए जाने या श्रिनवार्य सेवा-निवृत्ति की शास्ति. इन विनियमों के श्रधीन श्रपील में या पुनविलोकन पर श्रपास्त कर दी जाती है और मामला श्रितिस्ति जांच या कार्रवाई के लिए या किन्हीं निदेशों के साथ भेज दिया जाता है, वहां उसके निलम्बन का श्रादेश पदच्युति, हटाए जाने या श्रनिवार्य सेवानिषृत्ति के सूल श्रावेश की तारीख से ही प्रवृत्त समझा जाएगा और श्रयले श्रादेश तक प्रवृत्त रहेगा।
- (4) जहां किसी निलम्बनाधीन कर्मचारी पर श्रिधरोपित सेवा में पदच्युति, हटाए जाने या ग्रितवार्य सेवानिवृत्ति को शास्ति न्यायालय के किसी विनिध्चय द्वारा या उसके परिणामस्वरूप अपास्त कर दी जाती है या शून्य घोषित कर श्रीक्रयनों के बारे में, जिनके लिए पदच्युति, हटाए जाने या श्रीनवार्य सेवानिवृत्ति का शास्ति मूल रूप में अधिरोपित की गई थी, उसके विरुद्ध श्रीतिखत जांच करने का विनिश्चय करता है तो कर्मचारी पदच्युति हटाए जाने या श्रीनवार्य सेवानिवृत्ति के मूल श्रादेश की तारीख से सक्षम प्राधिकरी द्वारा निलंबित किया समझा जाएगा और यह श्रावले श्री या तक निलंबित रहेगा।
- (5) (क) इस विनियम के श्रवीन किया गया था किया समझा गया निलम्बन का श्रादेश तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उसे उपांतरित या प्रतिसंहरित नहीं कर देता है।
- (ख) इन विनियम के अधीन किया गया या किया समक्षा गया निलम्बन का आदेण उस प्राधिकादी हारा किसी भी समय उपांतरित या प्रतिसंहत किया जा सकेगा जिसने आदेश किया था वा जिसके द्वारा आदेश किया गया समझा गया है।
- 13. निलम्बन के दौरान छुट्टी: --फिसी निसम्बनाधीन कर्मधारी को कोई छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी।
- 14 निलम्बन के दाँरान निर्वाह भत्ता :--(1) काई ऐसा कर्मचारी जिसे निलम्बित किया गया है; निलम्बन की प्रविध के दौरान और उप-विनियम (2) से (4) तक के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय ग्रावास वैंक से निम्निलिखिन मापमान पर संदाय प्राप्त करने का हकदार होगा, यथा:---

- (क) मृल वैशन
- (i) ग्रांस की प्रकृति पर विचार किए बगैर निलम्बन के पहले नीन ग्रांस के निए उस मूल वेतन का 1/3 जो कर्मचारा निलम्बन की तारीख से पूर्ववर्ती तारीख को प्राप्त कर रहा था।
- (ii) निलम्बन को भाराख से तीन मास की पण्णात्वर्ती अवधि के लिए:---
 - (क) जहां राष्ट्रीय प्राक्तस बैंक द्वारा विभागीय जांच की जाती हैं वहां उस मूल वेतन का 1/2 जो कर्मचारी निलम्बन की तारीख से पूर्ववर्ती तारीख को ले रहा था; और
 - (ख) जहां जाच किसी बाहरी ब्रिक्सिण द्वारा की जाती है उहां अगले तीन मास के लिए गृल बेतन का 1/3 और निलंबन की णेप अवधि के लिए गुल बेतन का 1/2।
- (ख) भले

निलंबन की सपूर्ण अविधि के लिए महंगाई अत्ता और अहन भता, सत्कार भता और विशेष भता की छोड़कर धन्य भते खण्ड (क) की मद (i) और (ii) में यथाबिनिदिष्ट घटाए गए बेतन पर आर प्रचालित देरों पर या उसी प्रवर्ग के कर्म-चारियों को आगू देरों पर संगणित किए जाएंगे।

- (2) निलम्बन की ग्रवधि के दौरान कोई कर्मचारी किराया-मुक्त मकान के यिधिभोग या राष्ट्रीय ग्रावास बैंक की कार के नि:शुल्क उपयोग या प्रवहन भ्रथवा सत्कार भले या विशेष भले की प्राप्ति का हकदार नहीं होगा।
- (3) राष्ट्रीय श्रावास बैंक का कोई कर्मचारी तब तक निर्वाह भर्ते का संदाय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह इस श्राणय का प्रशाणपत्र नहीं दे देना है कि वह किसी श्रन्य नियोजन, कारवार, बृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है।
- (4) यदि निलम्बन की अवधि के दौरान कोई कर्म-चारी अधिवाँनता की आयु प्राप्त कर लेने के कारण सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसकी मेवानिवृत्ति की नारीख ने निर्वाह भन्ने का संदाय नहीं किया जाएगा।
- (2) उपर्धिनियम (1) में निर्दिष्ट मामलों से भिन्न सभी मामलों में कर्मजारी को जेवल और भलों का इतना अनुपात मर्ज क्या जाएगा जितने का मक्षम प्राधिकारी निदेश हैं;

परन्तु इस विनियम के अधीन भत्तों का संदाय उन अन्य सभी गर्तों के अधीन होगा जिनके अधीन ऐसे भन्ने अनुजेय हैं.

परन्तु यह ग्रीर कि इस उप विनियम के श्रधीन मंजूर किए गए वेतन भौर भत्ते विनियम 14 के श्रधीन ग्रनुत्तेय निवहि और अन्य भत्तों से कम नहीं होंगे।

- (3)(क) उप विनियम (1) के अधीन आने वाले किसी मामले में डय्टी से अनुपस्थित की अविध को, सभी प्रयोजनों के लिए, ड्यूटी पर व्यतीत की गई अविध माना जाएगा;
- (ख) उप विनिधम (2) के अधीन आने वाले किसी मामले में ड्यूटी से अनुपस्थित की ध्रवधि को तब तक ड्यूटी पर व्यतीन की गई ध्रवधि नहीं माना जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में प्रभिलिखित किए जाने याले कारणों में, विनिद्दिष्ट रूप से यह निर्देण नहीं देता है कि उसे किसी विनिद्दिष्ट प्रयोजन के लिए ड्यूटी पर व्यतीत की गई श्रवधि माना जाये।

16. प्रतिनियुक्त किए गए कर्मधारी: (1) यदि किसी ऐसे कर्मधारी के विरुद्ध निलंबन का आदेश दिया जाता है या अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य सरकारी केन्न के बैंक या बैंककारी कंपनी या लोक वित्तीय संस्था या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी लोक वित्तीय संस्था या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी लोक वित्तीय संस्था या लोक उपक्रम या किसी स्थानीय प्राधिकरण के पूर्णतः या सारतः स्वाधित्वधीन किसी संस्था से राष्ट्रीय धावास बैंक में प्रतिनियुक्त किया गया है तो उसकी सेवाएं उधार देने बाले प्राधिकरण के (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उधारदाता प्राधिकरण" कहा गया है) उन परिस्थितियों की तत्काल सूचना दी जाएगी जिनके कारण, यथण्यिति, निलंबन का आदेश दिया गया है या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

- (2) कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्य-वाही में निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए:--
 - (क) यदि अनुभासन आधिकारी की यह राय हो कि उस पर कोई लघु शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उधारदाता प्राधिकरण से परामर्थ करने के पश्चात् ऐसे मामले में ऐसे आदेश पारित कर संकेशा जैसा वह आवश्यक समझे:

परन्तु अनुजासन प्राधिकारी श्रीर उद्यार-दाता प्राधिकरण के बीच मतभेद होने की दशा में उक्त कर्मचारी की सेएएएं उधारदाता प्राधिकरण के व्ययनाधीन कर दी जाएगी।

(ख) अधि धनुष्णासम प्राधिकारी की यह राम हो कि उस पर कोई बड़ो शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उसकी सेवाएं उधारदाता प्राधि-करण के व्ययनाधीन कर देगा श्रीर जांच की कार्यवाहियां, ऐसी कार्रवाई के लिए जैसा वह ग्रावश्यक समझे, उसे प्रेषित कर देगा।

(3) यदि कमेचारी उप विनियम (2) के खंड (क) के अधीन उस पर लघु शास्ति म्रिधिरोपित करने से संबंधित स्रादेग के विरुद्ध कोई भ्रभील प्रस्तुत करता है तो उसका निपटान उधारदाता प्राधिकरण के साथ परामर्श करने के पश्चात् किया जाएगा।

परन्तु यदि अपील प्राधिकारी श्रीर उधार-दाना प्राधिकरण के बीच मनभेद हो तो कर्म-चारी की संवाएं उधारदाना प्राधिकरण के व्ययना-धीन कर दी जाएगी श्रोर मामले की कार्यवाहियां उस प्राधिकरण को ऐसी कार्रवाई के लिए, जिमे वह ठीक समझे, प्रेषित कर दी जाएगी।

अध्याय-111

अपील और पुनरावलीकन

- 17. श्रपील : (1) कोई कर्मचारी विनियम 4 में विनिदिष्ट किसी शास्ति के श्रपने ऊपर श्रिधरोपित करने में संबंधित श्रादेश के विरुद्ध या विनियम 12 में विनिदिष्ट निलम्बन के श्रादेश के विरुद्ध अपील कर मकेंगा। श्रपील श्राधिकारी के पास श्रपील की जाएगी।
- (2) अधील उस आदेश की प्राप्ति की तारीख में, जिसके विरुद्ध ग्रपील की जानी है, 45 दिन के भीतर की जाएगी। ग्रमील, ग्रपील प्राधिकारी को संबोधित की जाएगी श्रोर उस प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है। वह प्राधिकारी, जिसके म्रादेश के विरुद्ध अपील की जाती है, म्रपील को रापनी टिप्पणी भ्रीर मासले के अभि**ले**स्बों सहित भ्रपील प्राधिकारी को प्रेरित करेगा। अपील प्राधिकारी यह विचार करेगा कि निष्कर्प न्यायोजित है या नहीं या शास्ति अत्यधिक या अपर्याप्त तो नहीं है तया सभुचित भ्रादेश पारित करेगा। अपील प्राधिकारी शास्ति की पुष्टि कर सकेगा, उसमें वृद्धि कर सकेगा, उसे कम से कम या अपास्त कर सकेगा या लामले को ऐसे निदेश के साथ, जिले यह मामले की परि-स्थितियों में ठीक समझे, शास्ति ग्रधिरोपित करने वाले शाधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी के पास प्रेपित कर सकेगा ।

परन्तु यह कि---

(i) यदि वीतत भास्ति, जिसे अपीन प्राधिकारी द्वारा अधिरोतित किए जाने की अस्थापना है, विनियम 4 के खण्ड (ङ), (व), (छ) और (ज)

में विनिविष्ट कोई बड़ी शास्ति है श्रीर विनियम 6 में यथा उपबंधित कोई जांच उस मामले में पहले नहीं की गई है तो श्रपील प्राधिकारी यह निदेश देगा कि विनियम 6 के उपबंधों के सनुसार ऐसी जांच की जाय श्रीर उसके परचात् जांच के श्रभिलेख पर विचार करेगा श्रीर ऐसे अादेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे,

- (2) यदि श्रपील प्राधिकारी दंड में वृद्धि करने का निश्चय करता है किन्तु विनियम 6 में यथा उपबंधित कोई जांच पहले की जा चुकी है तो श्रपील प्राधिकारी कर्मचारी को इस श्राणय का एक कारण बताओं नोटिस देगा कि उस पर विधित शास्ति क्यों न श्रधिरोपित की जाए श्रीर कर्मचारी हारा अभ्यादेवन, यदि कोई हो, प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर विचार करने के पण्णात् अंतिम अपदेश पारित करेगा।
- 18. पुतरवलोकन :--(1) इन विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पुनरवलोकन प्राधिकारी संतिम श्रादेण की तारीख में छः माह के भीतर मामले के प्रभिलेख मंगा सकेगा श्रोर मामले का पुनरवलोकन करने के पश्चात् उस पर ऐसे श्रादेण पारिस कर मकेगा जैसा वह ठीक समझे:

परस्तु यह कि:---

- (i) यदि वह वर्धित शास्ति, जिसे पुनरवलोकत प्राधिकारी द्वारा प्रधिरोपित किए जाने की प्रस्थापना है, विनियम 4 के खण्ड (क्ष), (भ), (छ) ग्रोर (ज) में विनिद्धिष्ट कोई बड़ी शास्ति है और विनियम 6 में यथा उपबंधित कोई जांच उस मामले में पहले नहीं की गर्ड है तो पुनरावलोकन प्राधिकारी यह निदेश देगा कि विनियम 6 के उपबंधों के श्रनुसार ऐसी जांच की जाय श्रोर उसके पश्चात् जांच के श्रभिलेख पर विचार करेगा ग्रोर ऐसे ग्रादेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे;
- (ii) यदि पुनरवलोकन प्राधिकारी दंड में वृद्धि करने का निश्चय करता है किन्तु विनियम 6 के उप-बन्धों के अनुसार कोई जांच पहले ही की जा चुकी है तो पुनरवलोकन प्राधिकारी कर्मचारी को इस आगय का एक कारण बताओं नोटिस देगा कि उस पर वर्धित गास्ति क्यों न स्रधिरोपिन की जाव स्रोर कर्मचारी द्वारा स्रथ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर विचार करने के पश्चाम् शादेण पारित करेगा।

ग्रध्याय-IV

विविध

- 19. केन्द्रीय सतर्कता श्रायोग से परामर्श:—-राष्ट्रीय श्रावास दैंक ऐसे सभी श्रमुशायिक भामलों की बाबत, जिनमें कोई सतर्कता मंबंधी दृष्टिकाण है, जहां कहीं श्रावश्यक हो, केन्द्रीय सतर्कता श्रायोग से परामर्श करेगा।
- 20. सेवा श्रावेश, नोटिस श्रादि.—इन विनियमों के किए गए या जारी किए गए प्रत्येक श्रादेश, नोटिम श्रन्य श्रावेशिका की तामील संबंधित कर्मचारी पर वैयक्तिक रूप से की जाएगी या उसके श्रंतिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी जाएगी।
- 21. ममय सीमा को शिथिल करने थ्रोर विलम्ब को माफ करने की शिक्त इन विनियमों में जैसा श्रन्थथा श्रिभिस्थक्त रूप से उपबंधित है उसके सिवाय, इन विनियमों के ग्रधीन कोई आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी टोस श्रोर पर्याप्त कारणों से या यदि पर्याप्त हेतुक दिशात कर दिया जाता है तो इन विनियमों के ग्रधीन किए जाने के लिए थ्रपेक्षित किसी बात के लिए इन विनियमों में विनिद्धिर समय बहा मकेगा या किसी बिलम्ब को माफ कर सकेगा।
- 22. निरमन श्रीर व्यावृत्ति :--(1) प्रत्येक नियम, विनियन, उप-विधि या किसी करार या संकल्प में ऐसे प्रत्येक उपबंध को, जो इसमें श्रंतिविष्ट किसी विनियम का तत्स्थानी है और इन विनियमों के प्रारम्भ में टीक पूर्व प्रवृत्त है तथा कर्मधारी पर लागू है, इसके द्वारा निरमित किया जाता है।
 - (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी:-
 - (क) इस प्रकार निरमित उपकंक्षों के अधीन दिया गया कोई शायेश या की गई कोई कार्रवाई इन विनियमों के तत्स्यानी उपवंधों के श्रशीन दिया गया या की गई समझी जाएगी:
 - (ख) इन विभियमों की किसी बात का यह श्रर्थ गरीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति भी, जिस पर ये विभियम लाग होते हैं, श्रपील के ऐसे श्रधिकार से बंधित करती हैं जो इस प्रकार निरसित उपबंधों में ने किसी उपबंध के श्रपीन इस पर प्रोद्भृत हुआ था;
 - (ग) इन विनियमों के प्रारम्भ ने पूर्व किए गए जिसी श्रादेण के विरूद्ध इन निनियमों के प्रारम्भ में लिबत किसी श्रापील पर इन विनियमों के अनुसार विचार किया जाएगा और उस पर श्रादेश किए जाएंगे;
 - (घ) ऐसी कार्यवाहियां जो पहले ही आरम्भ की जा जुनी हैं किन्तु इन विनियमों के प्रायम्भ में धनी पूरी नहीं की गई हैं, यथाशक्य इन विनियमों के उप-बंधों के अनुसार इस प्रकार जारी रखी जाएगी और निषटाई जाएगी नालो ऐसी कार्यवाहियां एन विनियमों के स्रधीन थीं।

अनुसूची

हम पद का नास/श्रेणी io	श्रनुशासन प्राधिकारी	ग्रपील प्राधिकारी	पुनविलोकन प्राधिकारी
ा. (i) कनिष्ठ प्रबंध ग्रेड स्केल∐ मध्य प्रवंध ग्रेड स्केल∐ और ∭	उप म हाप्रवंधक	महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक
(ii) लिपिकीय कर्मचारी(iii) अधीतस्थ कर्मचारी			
ु. वरिष्ठ प्रबंध ग्रेड स्केल-IV और-V	महा प्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	श्रध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
. उच्च प्रबंध ग्रेड स्केल-VI और VII	म ार्यपालक निवेशनः	श्रथ्यक्ष एवं प्रबंध मिदेशक	बोर्ड की ममिति
। . उ च्च प्रबंध क म <mark>्ख्य महाप्रबंधक औ</mark> र कार्यपालक निदेशक	श्रध्यज्ञ	वोर्ड की समिति	पूर्ण कोर्ड

[फा॰मं॰ एन०एच०वी० (एन०डी०) स्टाफ/पी०ओ०एल०/26-- डिस्पि/95] बोर्ड के श्रादेशानुसार पी०के० द्वांडा, महा प्रबंधक

NATIONAL HOUSING BANK EMPLOYEES' REGULATIONS, 1994 NOTIFICATION

(Discipline and Appeals)

New Delhi, the 3rd February, 1995

S.O. 77A(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Board, with the previous approval of the Reserve Bank of India and in consultation with the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

CHAPTER I PRELIMINARY

- 1. Short title, commencement and application.—
 (1) These regulations may be called the National Housing Bank Employees' (Discipline and Appeals) Regulations. 1994.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) They shall apply to every whole-time employee of the National Housing Bank unless otherwise provided by the terms of any contract, agreement or letter of appointment but shall not apply to:—
 - (a) the Chairman and the Managing Director, and

- (b) staff employed temporarily.
- 2. Definitions.—In these regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context:
 - (a) "Act" means the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987);
 - (b) "Appellate Authority" means the authority specified in the Schedule to dispose of appeals;
 - (c) "Competent Authority" means the authority appointed by the Board for the purposes of these regulations;
 - (d) "Disciplinary Authority" means the authority specified in the Schedule which is competent to impose on an Employee any of the penalties specified in regulation 4:
 - (e) "Government" means the Central Government:
 - (f) "public financial institution" means--
 - (i) the Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, a company formed and registered under the Indian Companies Act, 1913 (7 of 1913):
 - (ii) the Industrial Finance Corporation of India. established under section 3 of

- the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948);
- (iii) the Industrial Development Bank of India, established under section 3 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964);
- (iv) the Life Insurance Corporation of India, established under section 3 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956);
- (v) the Unit Trust of India established under section 3 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963);
- (vi) any other financial institution which is declared by the Central Government by notification to be a public financial institution:
- (g) "Public Sector Bank" means--
 - (i) a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act. 1970 (5 of 1970) or under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980);
 - (ii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955(23 of 1955);
- (iii) a subsidiary bank constituted under the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959);
- (iv) any other bank which the Central Government may determine to be a public sector bank for the purposes of these regulations having regard to its manner of incorporation;
- (h) "public servant" means a person as defined as public servant in section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860);
- (i) "Reviewing Authority" means the authority specified in the Schedule;
- (j) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations.
- (k) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.
- 3. Power to interpret and implement Regulations.—(1) The power to interpret these regulations vests in the Chairman who is also herey empowered to issue such administrative instructions as may be 247 GI|95—4

- necessary to give effect to, and carry out the purposes of, the privisions of these Regulations or otherwise to secure effective control of the staff employed in the National Housing Bank.
- (2) The powers exercisably an authority under these regulations shall also be exercisable by any authority superior to the authority first mentioned.

CHAPTER II DISCIPLINE

4. Penalties.—The following are the penalties which may be imposed on an employee, for acts of misconduct or for any other goods and sufficient reasons.

Minor-penalties

- (a) Censure;
- (b) Withholding of increments of pay with or without cumulative effect;
- (c) Withholding of promotion;
- (d) recovery from pay or such other amount as may be due to him of the whole or part of any pecuniary loss caused to the National Housing Bank by negligence or breach of orders.

Major penalties

- (e) reduction to a lower grade or post, or to a lower stage in a time scale;
- (f) Compulsory retirement;
- (g) removal from service which shall not be a disqualification for future employment;
- (h) dismissal which shall ordinarily be a disqualification for future employment.

Explanation: The following shall not amount to a penalty within the meaning of this regulation namely:—

- (i) withholding of one or more increments of an employee on account of his failure to pass a prescribed departmental test or examination in accordance with the terms of appointment to the post which he holds;
- (ii) stoppage of pay of an employee at the efficiency bar in a time scale, on the ground of his unfitness to cross the bar;
- (iii) non-promotion, whether in an officiating capacity or otherwise, of an employee, to a higher grade or post for which he may be eligible for consideration but for which he is found unsuitable after consideration of his case:

-

- (iv) reversion to a lower grade or post, of an employee officiating in a higher grade or post, on the ground that he is considered, after trial, to be unsuitable for such higher grade or post, or on administrative grounds unconnected with his conduct;
- (v) reversion to his previous grade or post, of an employee appointed on probation to another grade or post, during or at the end of the period of probation, in accordance with the terms of his appointment or rules or orders governing such probations;
- (vi) reversion of an employee to his parent organisation in case he had come on deputation:
- (vii) termination of the service:- -
 - (a) of an employee appointed on probation during or at the end of the period of probation. in accordance with the terms of his appointment or the rules or orders governing such probation:
 - (b) of an employee appointed in a temporary capacity otherwise than under a contract or agreement, on the expiration of the period for which he was appointed, or earlier in accordance with the terms of his appointment:
 - (c) of an employee appointed under a contract or agreement, in accordance with the terms of such contract or agreement; and
 - (d) of an employee on abolition of post;
- (viii) retirement of an employee on his attaining the age of superannuation in accordance with the rules and orders governing such superannuation;
- (ix) termination of employment of a permanent employee by giving 3 months' notice or on payment of 3 months' pay and allowances in lieu of notice;
- (v) termination of employment of an employee on medical grounds, if he is declared unfit to continue in National Housing Bank's service by the National Housing Pank's medical officer.
- 5. Authority to institute disciplinary proceedings and impose penalties.—(1) The Chairman or any other authority empowered by him by general or special order may institute or direct the Disciplinary Authority to institute disciplinary proceedings against an employee of the National Housing Bank.

(2) The Disciplinary Authority may himself institute disciplinary proceedings.

- (3) The Disciplinary Authority or any authority higher than it may impose any of the penalties specified in regulation 4 on any employee.
- 6. Procedure for imposing major penalties.—
 (1) No order imposing any of the major penalties specified in clauses (e). (f), (g) and (h) of regulation 4 shall be made except after an inquiry is held in accordance with this regulation.
- (2) Whenever the Disciplinary Authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour, against an employee, it may itself enquire into, or appoint any other public servant (hereinafter referred to as "the inquiring authority") to inquire into the truth thereof.

Explanation: When Disciplinary Authority itself holds the inquiry any reference in sub-regulation (8) to sub-regulation (21) to the inquiring authority shall be construed as a reference to Disciplinary Authority.

- (3) Where it is proposed to hold an inquiry, the Disciplinary Authority shall frame definite—and distinct charges on the basis of the allegations against the employee and the articles of charge, together with a statement of the allegations, on which they are based, shall be communicated in writing to the employee who shall be required to submit within such time as may be specified by the Disciplinary Authority (not exceeding 15 days), or within such extended time as may be granted by the said Authority, a written statement of his defence.
- (4) On receipt of the written statement of the employee, or if no such statement is received within the time specified, an inquiry may be held by the Disciplinary Authority itself, or if it considers it necessary so to do appoint under sub-regulation (2) an inquiring authority for the purpose. Provided that it may not be necessary to hold an inquiry in respect of the articles of charge admitted by the employee in his written statement but shall be necessary to record its findings—on each such charge.
- (5) The Disciplinary Authority shall, where it is not the inquiring authority, forward to the inquiring authority;
 - (i) a copy of the articles of charges and statements of imputations of misconduct or misbehaviour;
 - (ii) a copy of the written statement of detence, if any, submitted by the employee;

(iii) a list of documents by which and list—of witnesses by whom the articles of charge are proposed to be substituted.

- (iv) a copy of statements of the witness, if any:
- (v) evidence proving the delivery of articles of charge under sub-regulation (3),
- (vi) a copy of the order appointing the Presenting Officer in terms of sub-regulation (6).
- (6) Where the Disciplinary Authority itself enquires or appoints an inquiring authority for holding an inquiry, it may, by an order, appoint an employee of the National Housing Bank to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge.
- (7) The employee may take the assistance of any other employee but may not engage a legal practitioner for the purpose, unless the Presenting Officer appointed by the Disciplinary Authority is a legal practitioner or the Disciplinary Authority, having regard to the circumstances of the case, so permits.

Explanation: The Employee shall not take the assistance of any other Employee who has two pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance.

- (8) (a) The inquiring authority shall by notice in writing specify the day on which the employee shall appear in person before the inquiring authority.
 - (b) On the date fixed by the inquiring authority, the employee shall appear before the inquiring authority at the time, place and date specified in the notice.
 - (c) The inquiring authority shall ask the charge sheeted employee whether he pleads guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the employee concerned thereon.
 - (d) The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the employee concerned pleads guilty.
- (9) If the employee does not plead guilty, the inquiring authority shall adjourn the case to a later date not exceeding 30 days or within such extended time as may be granted by the inquiring authority.
 - (10)(a) The inquiring authority shall, where the employee does not admit all or any of the articles of charge, furnish to such

employee a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be proved.

· ·---- . -_.

- (b) The inquiring authority shall also record an order that employee may for the pin-pose of preparing his defence—-
 - (i) inspect within five days of the order or within such further time not execuing five days as the inquiring authotity may allow the documents listed.
 - (ii) submit a list of documents and witnesses that he wants for the inquity;
 - (iii) be supplied with copies of statements of witnesses, if any, recorded earlier and the inquiring authority shall furnish such copies not later than three days before the commencement of the examination of the witnesses by the inquiring authority;
- (iv) give a notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the inquiring authority may allow for the discovery or production of the documents referred to in item (ii).

Explanation: The relevancy of the documents and the examination of the witnesses referred to in item (ii) shall be given by the employee concerned.

- (11) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of the documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept with a requisition for the production of the documents on such date as may be specified.
- (12) On the receipt of the requisition under subregulation (11), the authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall arrange to produce the same before the incurring authority on the date, place and time specified in the requisition:

Provided that the authority having the custody or possession of the requisition documents may claim privilege if the production of such documents will be against the public interest or the interest of the National Housing Bank. In that event, it shall inform the inquiring authority accordingly.

(13) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the Disciplinary Authority. The witnesses produced by the Presenting Officer shall be examined by the Presenting Officer

and may be cross-examined by or on behalf of the employee. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine his witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on a new matter, without the leave of the inquiring authority. The inquiring authority may also put such question to the witnesses as it thinks fit.

- (14) Before the close of the case, in support of the enarges, the inquiring authority may, in its discretion allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the charge-sheet or may itself call for new evidence or recall or re-examine any witness. In such case the employee shall be given opportunity to inspect the documentary evidence before it is taken on record or to cross-examine a witness, who has been so summoned. The inquiry authority may also allow the employee to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interest of justice.
- (15) When the case in support of the charges is closed, the employee may be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the employee shall be required to sign the record. In either case a copy of statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.
- (16) The evidence on behalf of the employee shall then be produced. The employee may examine himself in his own behalf, if he so prefers. The witnesses produced by the employee shall then be examined by the employee and may be cross-examined by the Presenting Officer. The employee shall be entitled to re-examine any of his witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter without the leave of the inquiry authority.
- (17) The inquiring authority may, after the employee closes his evidence, and shall, if the employee has not got himself examined, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the employee to explain any circumstances appearing in the evidence against him.
- (18) The inquiring authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer, if any appointed, and the employee, or permit them to file written briefs of their respective cases within 15 days of the date of completion of the production of evidence, if they so desire.
- (19) If the employee does not submit the written statement of defence referred to in subregulation (3) on or before the date specified for the purpose or does not appear in person, or

through the assisting employee or otherwise fails or refuses to comply with any of the provisions of these regulations, the inquiring authority may hold the inquiry ex-parte.

(20) Whenever any inquiring authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another inquiring authority which has, and which exercises such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself:

Provided that if the succeeding inquiring authority is of the opinion that further examination of any of witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, it may recall, examine, cross examine and re-examine any such witnesses as herein before provided.

- (21) (i) On the conclusion of the inquiry, the inquiring authority shall prepare a report which shall contain the following:
 - (a) a gist of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;
 - (b) a gist of the defence of the employee in respect of each article of charge;
 - (c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge;
 - (d) the findings on each articles of charge and the reasons therefor.

Explanation.—If, in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original article of charge, it may record its findings on such article of charge:

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the employee has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

- (ii) The inquiring authority, where it is not itself the Disciplinary Authority, shall forward to the Disciplinary Authority the records of inquiry which shall include
 - (a) the report of the inquiry prepared by it under clause (i);
 - (b) the written statement of defence, if any, submitted by the employee referred to in sub-regulation (15);
 - (c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;

- (d) written briefs referred to in sub-regulation (18), if any; and
- (e) the orders, if any, made by the Disciplinary Authority and the inquiring authority in regard to the inquiry.
- 7. Action on the inquiry report.—(1) The Disciplinary Authority, if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, remit the case to the inquiring authority for fresh or turther inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of regulation 6 as far as may be.
- (2) The Disciplinary Authority shall, if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge, if the evidence on record is sufficient for the purpose.
- (3) If the Disciplinary Authority, having regard to its findings on all or any of the articles of charge, is of the opinion that any of the penalties specified in regulation 4 should be imposed on the employee it shall, notwithstanding anything contained in regulation 8, make an order imposing such penalty.
- (4) If the Disciplinary Authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge, is of the opinion that no penalty is called for, it may pass an order exonerating the officer employee concerned.
- 8. Procedure for imposing minor penalties.—
 (1) Where it is proposed to impose any of the minor penalties specified in clause (a) to (d) of regulation 4, the employee concerned shall be informed in writing of the imputations of lapses against him and given an opportunity to submit his written statement of defence within a specified period not exceeding 15 days or such extended period as may be granted by the Disciplinary Authority and the defence statement, if any, submitted by the Employee shall be taken into consideration by the Disciplinary Authority before passing orders.
- (2) Where however, the Disciplinary Authority is satisfied that an enquiry is necessary, it shall follow the procedure for imposing a major penalty as laid down in regulation 6.
- (3) The record of the proceedings in such cases shall include—
 - (i) a copy of the statement of imputations of lapses furnished to the employee;
 - (ii) the defence statement, if any, of the employee. and

- (iii) the orders of the disciplinary authority together with the reasons therefor.
- 9. Communication of Orders.—Orders made by the Disciplinary Authority under regulation 7 or regulation 8 shall be communicated to the employee concerned, who shall also be supplied with a copy of the report of inquiry, if any.
- 10. Common Proceedings.—Where two or more employees are concerned in a case, the authority competent to impose a major penalty on all such employees may make an order directing that disciplinary proceedings against all of them may be taken in a common proceedings.
- 11. Special procedure certain cases.—Notwithstanding anything contained in regulation 6 or regulation 7 or regulation 8 the Disciplinary Authority may impose any of the penaltics specified in regulation 4 if the employee has been convicted on a criminal charge, or on the strength of facts or conclusions arrived at by a court or where the employee has abandoned his post.

Explanation.—For the purpose of this regulation, an employee shall be deemed to have abandoned his post it he absents himself from duty without leave or overstays his leave for a continuous period of nanety days without any intimation therefor in writing.

- 12. Suspension.—(1) An employee may be placed under suspension by the competent authority,—
 - (a) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or
 - (b) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial.
- (2) An employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order of the competent authority,—
 - (a) with effect from the date of his detention if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours;
 - (b) with effect from the date of conviction, if in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

Explanation.—The period of forty-eight hours referred to in clause (b) of this sub-regulation shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

- (3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee under suspension is set-aside in appeal or on review under these regulations and the case is remitted for further inquiry or action or with any directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original orders of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.
- (4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee under suspension is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law, and the Disciplinary Authority, on consideration of the circumstances of the case, decides to hold further inquiry against him on the allegations on which penalty of dismissal, removal or compulsory ectivement was originally imposed, the employee thall be demed to have been placed under suspension by the competent authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.
 - (5) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.
 - (b) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order.
- 13. Leave during suspension. -- No laeve shall be granted to an employee under suspension.
- 14. Subsistence allowance during suspension.— (1) An employee who is placed under suspension shall, during the period of such suspension and subject to sub-regulation (2) to (4) be entitled to receive payment from the National Housing Bank by way of subsistence allowance on the following scale, namely :-

(a) Basic Pay:

- (i) For the first three months of suspension 1/3 of the basic pay which the employee was receiving on the date prior to suspension irrespective of the nature of enquity.
- (ii) for the subsequent period after 3 months from the date of suspension:
 - (a) where the enquiry is held departmentally by the National Housing Bank, 12 of the basic pay, the employee was drawing on the date prior to the date of suspension; and

(b) where the enquiry is held by an outside agency, 1|3 of the basic pay for the next 3 months and 1|2 of the basic pay for the remaining period of suspension.

(b) Allowances .—

- For the entire period of suspension dearness allowance and other allowances excepting conveyance allowance, entertainment allowance and special allowance will be calculated on the reduced pay as specified in items (i) and (ii) of clause (a) and at the prevailing rates applicable to similar category of employees.
- (2) During the period of suspension an emplayer shall not be entitled to occupation of a rentfree house or free use of the National Housing Bank's car or receipt of conveyance or entertainment allowance or special allowance.
- (3) No employee of the National Housing Bank shall be entitled to receive payment of subsistence allowance unless he furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment. business, profession or vocation.
- (4) If during the period of suspension an emplays, retire by reason of his attaining the age es superannuation, no subsistence allowance shall be paid to him from the date of his retirement.
- 15. Pay, allowance and treatment of service on te mination of suspension.—(1) Where the comp ant authority holds that the employee has been tully exonerated or that the suspension was unju tifiable, the employee concerned shall be grantc? the full pay to which he would have been entitled had he not been suspended, together with any allowance of which he was in receipt immediately prior to his suspension, or may have been sanctioned subsequently and made applicable to all emplayees.
- (2) In all cases other than those referred to in sub-regulation (1) the employee shall be granted such proportion of pay and allowance as the Competent Authority may direct;

Provided that the payment of allowance under this sub-regulation shall be subject to all other conditions to which such allowance are admissible;

Provided further that the pay and allowances granted under this sub-regulation shall not be less than the subsistence and other allowances admissible under regulation 14.

(3) (a) In a case falling under sub-regulation (1) the period of absence from duty shall, for all purposes, be treated a period spent on duty;

- (b) In a case falling under sub-regulation (2), the period of absence from duty shall not be treated as a period spent on duty unless the competent authority specifically directs, for reasons to be recorded in writing, that it shall be so treated for any specific purpose.
- 16. Employees on deputation.—(1) Where an order of suspension is made or disciplinary proceeding is taken against an employee, who is on deputation to the National Housing Bank from the Central Government or the State Government or Reserve Bank of India or another public sector bank or banking company or a public financial institution or an institution wholly or substantially owned by the Reserve Bank of India or a public financial institution or public undertaking or local authority, the authority lending his services (hereinafter referred to as the "Lending Authority") shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of his suspension, or the commencement of the disciplinary proceedings, as the case may be.
- (2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding taken against the employee—
 - (a) if the Disciplinary Authority is of the opinion that any of the minor penalties should be imposed on him, it may pass such orders on the case as it deems necessary after consultation with the Lending Authority.

Provided that in the event of a difference of opinion between the Disciplinary Authority and the Lending Authority, the service of the employee shall be placed at the disposal of the Lending Authority.

- (b) if the Disciplinary Authority is of the opinion that any of the major penalties should be imposed on him, it should replace his services at the disposal of the Lending Authority and transmit to it the proceedings of the enquiry for such action as it deems necessary.
- (3) If the employee submits an appeal against an order imposing a minor penalty on him under clause (a) of sub-regulation (2), it will be disposed of after consultation with the Lending Authority.

Provided that if there is a difference of opinion between the Appellate Authority and the Lending Authority, the services of the employee shall be placed at the disposal of the Lending Authority, and the proceedings of the case shall be transmitted to that authority for such action as it deems necessary.

CHAPTER III

APPEALS AND REVIEW

- 17. Appeal.—(1) An employee may appeal against an order imposing upon him any of the penalties specified in regulation 4 or against the order of suspension referred to in regulation 12. The appeal shall lie to the Appellate Authority.
- (2) An appeal shall be preferred within 45 days from the date of receipt of the order appealed against. The appeal shall be addressed to Appellate Authority and submitted to the authority whose order is appealed against. The auhtority whose order is appealed against shall forward the appeal together with its comments and the records of the case to the Appellate Authority. The Appellate Authority shall consider whether the findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders. Appellate Authority may pass an order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case:
 - Provided that—(i) if the enhanced penalty which the Appellate Authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses (e), (f), (g) and (h) of regulation 4 and an inquiry as provided in regulation 6 has not already been held in the case, the Appellate Authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper:
 - (ii) if the Appellate Authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held as provided in regulation 6 the Appellate Authority shall give a show cause notice to the employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the employee.
- 18. Review.—(1) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Reviewing Authority may call for the record of the case within six months of the date of the final order and after reviewing the case pass such orders thereon as it may deem fit:
 - Provided that—(i) if the enhanced penalty which the Reviewing Authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses (e), (f), (g) and (h) of

regulation 4 and an inquiry as provided in regulation 6 has not already been held in the case, the Reviewing Authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper;

(ii) if the Reviewing Authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held as provided in regulation 6, the Reviewing Authority shall give a show cause notice to the employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation, if any submitted by the employee.

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

- 19. Consultation with Central Vigilance Commission.—The National Housing Bank shall consult the Central Vigilance Commission whree necessary, in respect of all disciplinary cases having a vigilance angle.
- 20. Service of orders, notices, etc.—Every order notice and other process made or issued under these regulations shall be served in person on the employee concerned or communicated to him by registered post at his last known address.
- 21. Power to relax time-limit and to condone delays.—Save as otherwise expressly provided in these regulations, the authority competent under these regulations to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these regulations for anything required to be done under these regulations or condone any delay.
- 22. Repeal and saving.—(1) Every rule, regulation, byc-law or every provision in any agreement or a resolution corresponding to any of the regulations herein contained and in force immediately before the commencement of these regulations and applicable to the employees is hereby repealed.
 - (2) Notwithstanding such repeal-
 - (a) any order made or action taken under the provisions so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations;

- (b) nothing in these regulations shall be construed as depriving any person to when these regulations apply of any right of appeal which had accrued to him under any of the provisions so repealed;
- (c) an appeal pending at the commencement of these regulations against an order made before the commencement of these regulations shall be considered and orders thereon shall be made, in accordance with these regulations;
- (d) any proceedings which have already been initiated but not yet been completed at the commencement of these regulations shall be continued and disposed as far as may be, in accordance with the provisions of these regulations, as if such proceedings were proceedings under these regulation.

THE SCHEDULE

SI. No.	•			Reviewing Authority
ger sca Ma	Junior Mana- nent Grade le I Middle magement ade scale II	•		Executive Director
(ii) C	lerical Staff			
	Subordinate Staff			
me	nior Manage- nt Grade le IV & V	General Manager	Executive Director	Chairman & M.D.
	p Management ide scale VI /II		Chairman & M.D.	Committee of Board
Chi Mai	n Management of General nager & cutive Director		Committee of Board	Full Board

[F. No. NHB(ND)/STF/POL/26-DISC,/95]

By order of the Board P.K. HANDA, General Manager